राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सिरोही

कमांकः प.14(12)( )आ.प्र.एवं सहा./डीडीएमपी/2024/223 दिनांक 12-06-2025

प्रेष्यः—

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राज. जयपुर

विषयः— जिला आपदा प्रबन्धन योजना वर्ष 2025 प्रेषित करने बाबत् ।

—0—

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आप द्वारा चाही गई आपदा प्रबन्धन योजना वर्ष 2025 इसके संलग्न सादर प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ0 दिनेश राय सापेला)
अति0 जिला कलक्टर (सहायता)
सिरोही

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Di[illegible]h Rai Sapela
Designation : Additi[illegible]l Collector And
Additional Dis[illegible]gistrate
Date: 2025.06.1[illegible]:52:32 IST
Reason: Approved

सत्यमेव जयते

जिला आपदा प्रबंधन योजना
वर्ष—2025

फोन— 02972—225327
221240
ई—मेल: dm-sir-rj@nic.in
reliefsectionsirohi@gmail.com

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

अध्याय–1
Introduction
District Disaster Management Programme

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

परिचय–

जिले के आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं के प्रतिकुल प्रभाव को कम करने हेतु जिला प्रशासन एवं जन साधारण की क्षमताओं में वृद्वि करना तथा इससे निपटने कम से कम जन–धन की हानि हो अथवा उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके या बचा जा सके ।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के उद्देश्य Purpose of District Disaster Management Plan To responds promptly in a coordinated manner in a disaster like situation, it is mandatory to mitigate the potential of disasters in order to save lives of people and property in sirohi district

जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।

क्या करना हैं	अधिकारी व सदस्य	कार्य कैसे किया जाये
आंकलन एवं विश्लेशण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिशद, अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका, अतिरिक्त कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि. जल संसाधन, पी.एच.डी. विधुत, अग्निशमन, सिविल डिफेन्स,उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार,एनजीओ, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि	पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं का आंकलन, विश्लेषण एवं चर्चा। नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का (रिकोर्ड) दस्तावजीकरण । पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति । आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय ।
परिस्थिति का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधि।	संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। डेमोग्राफी/मानव के रहन–सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। हेविटेशन पेटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। प्राकृतिक सम्पदा को नक्शें पर दर्शाना। सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पति की सूची तैयार करना। सुरक्षित संसाधन/संभावित नुकसान, सडक, रेल, हवाई अडडें की सूची तैयार कर नक्शो पर दर्शाना।
खतरे का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधि।	पूर्व अनुभव के आधार एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरो को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जिविकोपार्जन एवं सम्पति के नुकसान की संभावना है।

संवेदनशीलता का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधि।	संवेदनशील जगहों एवं कारकों की अलग–अलग सूचना तैयार कर नक्शा तैयार

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य–

जिला सिरोही DDMP के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:–

- प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- सहयोगी विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण ।
- उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतो की सूची तैयार करना।
- स्त्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- सभी सहायता कार्यो का पारम्परिक समन्वय करना।
- राज्य स्तरीय नियत्रंण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005, महत्वपूर्ण जानकारी

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 23 दिसम्बर 2005 से लागू किया गया हैं । यह आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषगिक विषयों का उपबंध करने के लिये निर्मित किया गया हैं । उक्त अधिनियम में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उदभूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत हैं जिसका परिणाम जीवन की सम्पूर्ण हानि या मानवीय परिणाम का हैं जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हैं ।

मुख्य बिन्दू–

राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन जो आपदा प्रबन्धन हेतु नीति निर्धारण का कार्य करेगा ।

- आपदा राहत व बचाव हेतु **"राष्ट्रीय आपदा मोचन बल"** NDRF तथा **"राज्य आपदा मोचन बल"** SDRF का गठन प्रत्येक राज्य व जिले में आपदा प्रबन्धन योजना होगी जिसमें त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व अउधुनिकीकरण होगा ।

- आपदा से निपटने हेतु राष्ट्र–राज्य–जिला के मध्य प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित किया जायेगा । आपदा से निपटने हेतु क्षमता वर्द्धन प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व तैयारी पर विशेष जोर होगा ।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005, महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3(1)–राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना ।

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करें ।

इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिये राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी ।

(2)–राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाये ।

धारा 6 (1)–राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाऐं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(2)–उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण–

(क)– आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में नीतिया अधिकथित कर सकेगा ।
(ख)– राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा ।
(ग)– भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा ।
(घ)– राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसारित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा ।
(ड.)– भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के लिये अपनाए जाने वाले मार्गदर्शन सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा ।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 (1)– राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना ।

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने प चात यथा शीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिश्ट किया जाये राज्य आपदा प्राधिकरा की स्थापना करेगी ।

धारा 18 राज्य प्राधिकरण की भाक्तियों और कृत्य – (1)–राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिये नीतियां और योजनाऐं अधिकथित करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25–जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन (1) प्रत्येक राज्य सरकार धारा 14 की उपधारा (1) के
अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिये ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जावें, एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष और 07 से अनाधिक उतने सदस्य होगें, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये और जब तक की नियमों में अन्यथा उपलब्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होगें–

क.सं.	पद नाम	
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख	सह अध्यक्ष
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,	सदस्य
4	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)	सदस्य सचिव
6	सांसद (लोक सभा)	स्थाई आमंत्रित सदस्य
7	विधान सभा सदस्य	स्थाई आमंत्रित सदस्य

8	अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि.	सदस्य
9	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड	सदस्य
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
12	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य

जिले में विभाग व हिताधारकों एवं उनकी जिम्मेदारियाँ

क्र. सं.	नोडल विभाग	संबंधित आपदा
1	आपदा प्रबन्धन व सहायता	बाढ, सूखा, ओलावृष्टि, अग्नि, भूकम्प, पाला, शीतलहर, चकवात हिमस्खलन, भूस्खलन, सुनामी
2	ऊर्जा	विधुत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, संबंधी आपदा
3	गृह	आंतकी हमला, पुलिसबल, कानून व्यवस्था, भगदड, सडक, रेल दुर्घटना
4	जल संसाधन	बाढ, बांध टूटना, बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बडे भवनों का गिरना ।
6	खान	खान में आग, पानी भरना, डूबना
7	उद्योग	रासायनिक व औद्यौगिक आपदा, तेल फेलना
8	नगरीय विकास	शहर अग्नि
9	राजस्व	गांव की आग, गांव पलटना
10	वन	वनो की आग
11	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खाने से बीमारी
12	कृषि	फसलों का खराबा, टिड्डी दल का हमला
13	पशुपालन	पशु महामारी

DDMP के उपयोग की प्रकिया

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सिरोही विकेन्द्रीकृत प्रकिया अनुसरण करती हैं । जिससे संभावित आपदा और उसके प्रभावों तथा आपदा शमन व रोकथाम के उपाय सुझाती हैं । इसके लिये DDMP मानव संचालन प्रणाली व कियान्वयन का अनुसरण करती हैं ।

DDMP मूल्यांकन व आधुनिकरण

जिला DDMP एक गत्तिक व परिवर्तनशील अभिलेख हैं । समय व आवश्यकतानुसार DDMP का मूल्यांकन व आधुनिकरण सतत् व निरन्तर चलने वाली प्रकिया होगी । DDMP अभिलेख का मूल्यांकन वार्षिक तथा पंचवर्षीय व आधुनिकरण प्रस्तावित होगा । DDMP अधिनियम 2005 के अनुसार DDMP में आंशिक रूप से वार्षिक तथा प्रत्येक पांच वर्ष में व्यापक परिवर्तन आवश्यक हैं । जिला सिरोही DDMP में मूल्यांकन व आधुनिकरण में इसी पद्वति का अनुसरण किया जाएगा ।

अध्याय – 2
जिले का संक्षिप्त परिचय

भौगोलिक स्थिति

सिरोही जिला राजस्थान राज्य में वर्ष 1849 में सम्मिलित किया गया था । राज्य का एक मात्र पर्वतीय स्थल माउन्ट आबू सिरोही जिले में वर्ष 1956 में सम्मिलित किया गया । इससे पहले आबूरोड तहसील तत्कालीन बोम्बे स्टेट में सम्मिलित थी । यह जिला राज्य का एक शान्त एवं हरा भरा जिला हैं ।

सिरोही जिला राज्य के दक्षिण–पश्चिम में अक्षांश 24 20' उत्तर तथा 72 16' पूर्व में स्थित हैं । जिसका क्षेत्रफल 5136 वर्ग किलोमीटर जिले के उत्तर पूर्व में पाली, पूर्व में उदयपुर, उत्तर–पश्चिम में जालोर तथा दक्षिण में गुजरात राज्य का बनासकांठा जिला स्थित हैं ।

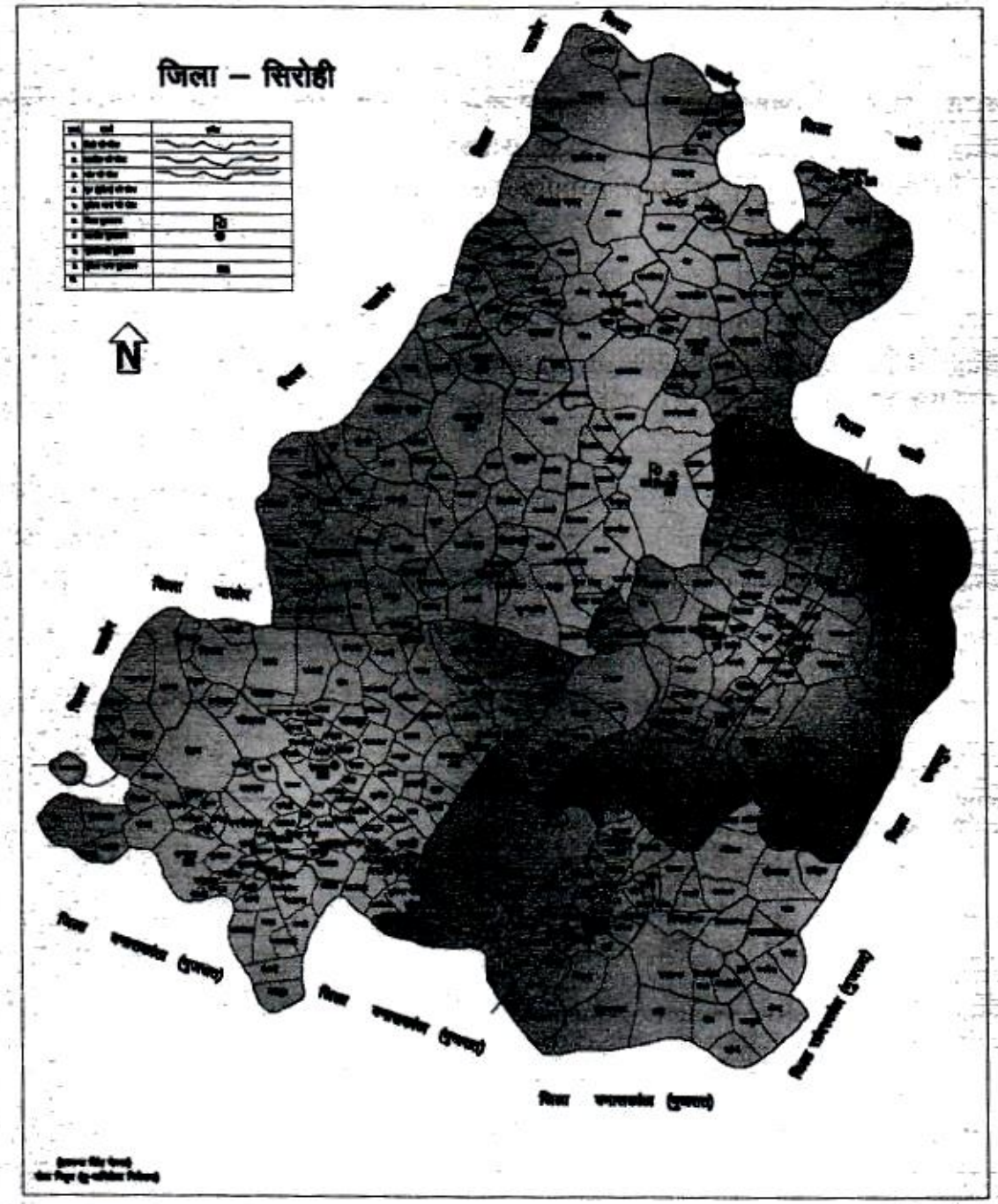

प्रशासनिक संरचना

सिरोही जिला निम्नलिखित 6 उपखण्डों एवं 06 तहसीलों में विभाजित है :–

उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	पटवार मण्डल	पुलिस थाने	जनसंख्या (2011)
सिरोही	सिरोही	88	34	04	186079
शिवगंज	शिवगंज	78	28	02	142329
रेवदर	रेवदर	135	37	03	221848
पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	122	37	03	261686
आबूरोड	आबूरोड	55	17	03	224404
आबूपर्वत	देलदर	42	12	01	
	योगः–	520	165	16	1036346

जिले में एक जिला परिषद, 5 पंचायत समितियां, 170 ग्राम पंचायतें एवं 06 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

जिला परिषद का मुख्यालय सिरोही में स्थित है। जिला परिषद में 21 सदस्य हैं एवं इसके अध्यक्ष जिला प्रमुख हैं :–

पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण :–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	सिरोही	30
2.	शिवगंज	26
3.	पिण्डवाडा	43
4.	रेवदर	39
5.	आबूरोड	32
कुल 05		170

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण :–

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर/कस्बा
1.	सिरोही	शहर
2.	शिवगंज	शहर
3.	पिण्डवाडा	शहर
4.	आबूरोड	शहर
5	आबूपर्वत	शहर
6	जावाल	कस्बा

जिले में 3 विधान सभा क्षेत्र – 146– सिरोही, 147–पिण्डवाडा आबू व 148–रेवदर हैं जो संसदीय क्षेत्र 18–जालोर में समाविष्ट हैं ।

भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफल –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 5136 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसख्या 8511076 है तथा घनत्व 166 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) –

जिले सामान्यतः मिट्टी उपजाउ हैं एवं कृषि योग्य है । जिलेके पूर्व में पहाडी ईलाका हैं ।

भूमि उपयोग –

जिले का कुल क्षैत्रफल 12,79,858 एकड हैं जिसमें से 537000 एकड भूमि कृषि योग्य हैं इस कृषि योग्य भूमि में से कुल 227000 एकड भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं । इस सिंचित क्षैत्र में से 60455 एकड भूमि में सिचांई सुविधा बांधों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।

क्र.सं.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत (हैक्टेयर)
1	वन	152495	24.84
2	गैर कृषि उपयोग में भूमि	102558	16.71
3	बंजर एवं अकृषित भूमि	42063	6.85
4	अन्य अकृषित भूमि (पडत भूमि के अतिरिक्त)	25498	64.15
5	कृषि योग्य खाली भूमि	38676	6.30
6	पडत भूमि	85689	13.96
7	बोया गया कुल क्षेत्रफल	166805	27.17
	योगः–	**613784**	

जलवायु –

जिले की जलवायु समान्य एवं स्थास्थ्यवर्धक हैं । जनवरी महिने के मध्य अधिकतम तापमान का कम 23° सै. रहता हैं जबकि मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान का कम 8° सैं.रहता हैं । मार्च के महिने से तापमान कमशः बढता जाता हैं । सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता हैं जबकि मध्य दैनिक अधिकतम तापमान का कम 40° सै. रहता हैं । दिनों में पृथक रू‍प से दिन का तापमान अधिक से अधिक 47° सै. तक जा सकता हैं । नवम्बर मध्यसे जनवरी तक मौसम ठंडा रहता हैं । मानसून में जो कि जून से तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह के मध्य तक चलता हैं, वातावरण आर्द रहता हैं । जिले के पर्वतीय स्थल माउण्ट आबू पर अधिकतम तापमान 38.3° सैं. तथा न्यूनतम तापमान (–) 1.1° सैं. रहता हैं तथा मौसम खुशनुमा रहता हैं ।

वर्षा

जिले में औसत वर्षा 60.40 से.मी. (23.88 इंच) होती हैं । जिले में एक दिन (24 घन्टे) में मैदानी क्षैत्र में अधिकतम वर्षा 36.20 से.मी. (14.28 इंच) 14/8/1941 को तथा माउन्ट आबू में इसी दिन 48.40 से.मी. (19 इंच) वर्षा मापी गई थी । कुल वार्षिक की लगभग 95 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महिने में होती हैं । इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते हैं । जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा कदा वर्षा होती हैं ।

जिले के प्रमुख नदियां, बाँध, तालाब

नदियॉं :– पश्चिम बनास नदी, सीपू, खारी (कृष्णावती) नदी सूकली नदी जिले की प्रमुख नदियॉं हैं ।

जल संसाधन खण्ड के अधीन व पंचायत के अधीन एवं जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर के अधीन जिले में कुल 58 बांध, तालाब आते हैं जिनकी पूर्ण भराव क्षमता 642150 (मिलीयन घन फीट) (MCFT) हैं तथा इनके द्वारा 60455 एकड भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं । (तीन सौ हैक्टेयर) सिंचाई क्षमता के तालाबों को पंचायती राज संस्थानों को हस्तान्तरित किया जा चुका हैं । सिरोही जिले के प्रमुख बांध वेस्ट बनास , अणगौर बांध, घान्ता बांध, कामेरी बांध, पोईदरा बांध, बगेरी बांध, मूगथला बांध, टोकरा बांध, बूटडी बांध, उडवारिया बांध, मण्डार नाला (प्रथम) बांध हैं ।

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन बांध

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन पंचायत समिति, सिरोही		
क्र.सं.	**बांध का नाम**	**ग्राम पंचायत**
1	अणगौर	खाम्बल
2	धान्ता	सिंदरथ
3	कामेरी	पाडीव
4	निम्बोडा	जैला
5	नवारा	नवारा
6	बरलुट	बरलुट
7	पोईदरा	सनपुर
8	आखेलाव	सिरोही
9	मानसरोवर	सिरोही
10	वराल	डोडुआ

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन पंचायत समिति, रेवदर		
क्र.सं.	**बांध का नाम**	**ग्राम पंचायत**
1	टोकरा	सिरोडी
2	बूटरी	मकावल
3	उडवारिया	उडवारिया
4	मण्डार नाला –1	भैरूगढ
5	पंचदेवल	जीरावल
6	सुकली सेलवाडा	सेलवाडा
7	करोडीध्वज	अनादरा

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन पंचायत समिति, पिण्डवाडा		
क्र.सं.	बांध का नाम	ग्राम पंचायत
1	वेस्ट बनास	धनारी
2	गंगाजली	काछोली
3	वालोरिया	वालोरिया
4	कादम्बरी	काटल
5	भूला	सनवाडा
6	सरूपसागर	सिवेरा
7	वासा	वासा
जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन पंचायत समिति, आबूरोड		
क्र.सं.	**बांध का नाम**	**ग्राम पंचायत**
1	बगेरी	चण्डेला
2	मुंगथला	मुंगथला
3	गिरवर	बहादूरपुरा
4	कुई सांगना	खडात
5	वजना	बहादुरपुरा
6	महादेव नाला	आमथला
7	चिनार	चण्डेला
8	ओर नाला	खडात
9	भैसा सिंह	भैसा सिंह
जवाई नहर खण्ड		
क्र.सं.	**बांध का नाम**	**ग्राम पंचायत**
1	पिण्डवाडा	केर
2	पिण्डवाडा	मण्डवाडा
3	पिण्डवाडा	फाटके वर

झील एवं तालाब:– जिले में माउण्ट आबू पर्वतीय जिलेमें पर्वतीय स्थल पर नक्की झील हैं । यह झील आबू पर्वत का सर्वोतम रमणीय स्थल एवं हदय सरोवर हैं । एक लोकोक्ति के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था ।
जिले के प्रमुख तालाब नक्की झील, चन्देला, जुबली तालाब, सिवेरा, अखेलाव, लाखेराव, मातरमाता तालाब, दुधीया तालाब, विसोल तालाब तथा नीलोरा तालाब हैं ।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

प्रमुख फसल :– जिले में रबी की फसले प्रमुख हैं तथा साथ में खरीफ एवंज जायद की फसले भी बोयी जाती हैं ।

रबी:– गेहूं, जौ, चना, सरसो, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मैथी, अरण्डी, सौफ, इसबगोल आदि ।

खरीफ:– कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, उडद, मूंग, मोठ आदि । इसके अतिरिक्त जिले में व्यवसायिक दृश्टि से फल और सब्जियॉ बोई जाती हैं । पपीता, नीबू और आम के पेड आमतौर पर पाये जाते हैं । नदियों के पेटो में वि ोशतः बनास नदी के पेटे में फल और सब्जियॉ जैसे खरबूजा, ककडी, टमाटर खूब पैदा किये जाते हैं । नदियों के पेटे बैंगन, प्याज, लहसून आदि की खेती के उपयोग में भी लिये जाते हैं । फल व सब्जियां प्रचूर मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किये जाते हैं ।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

क.सं.	फसलों का नाम	वर्ष (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)
1	बाजरा	1200
2	ज्वार	800
3	गहूं	2500
4	मक्का	900
5	जौ	3700
6	चना	1400
7	तिल	500
8	कपास	2500
9	मूंगफली	2100

प्रमुख उद्योग

वर्तमान में जिले में 8 बडे तथा 12 मध्यम श्रेणी के डद्योग उत्पादनरत हैं । जिले के खनिज पदार्थ की अधिकता होने के कारण खनिज आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हुआ हैं । बडे उद्योगों में पोर्टलैण्ड सीमेन्ट, सिन्थेटिक यार्न, हाईटेन्शन इन्सुलेटर, तिरूपति फाईबर, आर.पी.आर.एल. मार्बल, ग्रेनाईट, पोलिमर्स/रेजिन्स तथा खनिज चूर्ण आदि का उत्पादन होता हैं । इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के उद्योगों में सीमेन्ट,मार्बल व ग्रेनाईट की टाईल्स व स्लेब्स धागे, एच–एसीड, आई.आर.डब्ल्यू पाईप्स व टयूब्स, एचडीपीई वूवन, चैक्स, टूविस्टींग एवं टेक्सच्युराईजिंग धागों का उत्पादन होता हैं । जिले के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं । पिण्डवाडा तहसील अल्ट्राटेक, जिसमें पोर्टलैण्ड सीमेन्टका उत्पादन होता हैं इसके अतिरिक्त मैं. लक्ष्मी सीमेन्ट लि. जे.के. पुरम एवं मैं. वालकेम इन्डिया लि. सिरोही रोड में भी सीमेन्ट कारखाने हैं । भारजा में मैसर्स गुजरात केबल्स लि. जिसके टेलिफोन केबल्स के उत्पादन की इकाईया हैं । अन्य उल्लेखनीय हैं उद्योगों में यहां तलवार व कटारें बनाने का कार्य भी होता हैं । इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरी, सुनारगिरी, चमडे का काम, बढईगिरी, बुनने एवं कातने के कार्य होते हैं

संचार एवं यातायात :–

सिरोही जिला मुख्यालय रेल लाईन से जुडा नही हैं । यद्यपि जिले में से रेल लाईन गुजरती हैं पश्चिमी रेल्वे की दिल्ली –अहमदाबाद –मुम्बई बडी लाईन पर सिरोही रोड (पिण्डवाडा) बनास, सरूपगंज तथा आबूरोड रेल्वे स्टेशन स्थित है । जिले में वायुयान सेवा उपलब्ध नही हैं । जिला मुख्यालय पर ही वायुयान उतरने के लिए हवाई पटटी बनी हुई हैं । जिले में दो हवाई पटटी 1–जिला मुख्यालय 2–मानपुर (आबूरोड) जिस पर वायुयान उतरते हैं ।

जिले में दो राष्ट्रीय राजमार्ग 14 व 76 नम्बर हैं जो जिले को ब्यावर, पाली, सिरोही–आबूरोड–पालनपुर व पिण्डवाडा–उदयपुर, निम्बाहेडा, चित्तौडगढ, कोटा, शिवपुरी (मध्यप्रदेश) से जोडते हैं ।

जनसंख्या :– 2011 की जनगणना के अनुसार सिरोही जिले की जनसंख्या के आंकड़े निम्नानुसार है।

क्र.सं.	तहसील	ग्रामीण			शहरी		कुल
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	
1	सिरोही	74141	72709	146850	20612	18617	39229
2	शिवगंज	58981	56150	115131	14061	13137	27198
3	पिण्डवाडा	122050	115149	237199	12832	11655	24487
4	आबूरोड	76681	72417	149098	40088	35218	75306
6	रेवदर	114785	107063	221848			

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

जिले में आयोजित अधिकांश मेले सामाजिक एवं धार्मिक प्रकृति के होते हैं जो विशिष्ट समय पर लगते हैं तथा इनका व्यापारिक महत्व होता हैं । ये मेले मनोरंजन एवं लोगो को एकत्रित होने के प्रमुख साधन हैं । इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को आमदनी भी सुलभ कराते हैं जिले में कुल 21 मेले आयोजित किये जाते हैं । इनमें सारणे वरजी महादेव मेला सिरोही में, सारणे वर प J मेला कालकाजी तालाब सिरोही, गौतमजी मेला चांदला (पोसालिया) में एवं वास्तानजी का मेला ईसरा, रघुनाथ मेला आबूपर्वत प्रमुख हैं ।

ऐतिहासिक एवं धार्मिक केन्द्र

पौराणिक काल से यह केन्द्र ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं चिंतकों का केन्द्र रहा हैं । वशिष्ठ ऋषियों, का आश्रम, दत्तात्रेय का गुरूशिखर पांडवों की गुफा, भीम गुफा, राजा हरिशचन्द्र की गुफा, भूर्तहरि की गुफा, राजा गोपिचन्द की गुफाएं इसके प्रमाण हैं ।

शिव मंदिरः– इस जिले में पशुपति भौव धर्म का प्रभाव अधिक रहा । यहा दुर्लभ त्रिमुख शिव में लकुलीश शिव की मूर्तिया कई मंदिरों में पाई जाती हैं । कासिन्द्रा, निबोरा, वरमाण के मंदिरों में ऐसी मूर्तियॉं हैं । पिण्डवाडा के पास गोपेश्वर व रामेश्वर, दांतराई का जोगे वर तथा पालडी के पास गणके वर का मंदिर प्रसिद्ध हैं ।

सूर्य मंदिरः– इस क्षेत्र में दशदूर एवं कोर्णाक भौली से प्रभावित सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ इनमें वरमाण ब्रहमास्वामी सूर्य मंदिर, बसंतगढ का सूर्य मंदिर तथा अनादरा के पास करोडीध्वज का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध हैं ।

सूर्य मंदिरः– :– आबूरोड के पास पौराणिक काल का ऋषिकेश, कानवट का शैषभामी मंदिर, पिण्डवाडा का लक्ष्मीनारायण, परशुराम, गोपालजी एवं भयामलालजी के मंदिर प्रसिद्ध हैं ।

जैन मंदिरः– जैन मंदिरों में आबूपर्वत स्थित देलवाडा की विमलसहि व लूणवसहि भव्यता नक्काशी तथा अंलकरण के लिए विश्वविख्यात है । सिरोही से 12 कि.मी. की दूरी पर तीनो ओर से पहाडियों की गोद में स्थित मीरपुर का जैन मंदिर प्राकृतिक सौदर्य एवं शिल्प कला के संगम का अनुपम उदाहरण हैं ।

बामनवाडजी महावीर स्वामी का समर्पित मंदिर अपनी भव्यता के लिये प्रसिद्ध हैं । सिरोही नगर में सिरोही नगर में देशसरिया मंदिर गली के नाम से प्रसिद्ध गली में 15 जैन मंदिर कतारबद्ध हैं । सिरोही में 20वीं सदी के अंतिम दशक का श्री योगेश्वर सर्वधाम माननीय आस्थाओं का संगम स्थल हैं ।

आबूपर्वत पर नक्की झील , सनसेट प्वाईट, टॉडरॉक, देलवाडा का जैन मंदिर, गुरूशिखर, अचले वर महादेव मंदिर, गौमुख एवं विषिष्ठ आश्रम, गौतम आश्रम, अर्बुदा देवी का मंदि इत्यादि ऐतिहासिक स्थल हैं ।

अध्याय–3

Hazard, Vulnerability, Capacity and Risk mamagment

आपदा सुभेद्यता, जोखिम विश्लेषण व क्षमता मूल्यांकन

सिरोही जिले की सम्भावित आपदाओं की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों का चिन्हिकरण किया गया हैं । जिनका उल्लेख इस प्लॉन में विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु आपदा घटित होने पर किये जाने वाले प्रयास (Prevntive & Mitigation Measure) को उल्लेख करते हुये विभिन्न विभागवार प्रतिकिया योजना (त्मेचवदेम च्सद) तैयार की गई । आपदा प्रबन्धन पर गठित सरकार की हाई पावर कमेटी 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित कर मुख्यतः पांच भागों में वर्गीकृत किया गया हैं–

1.water and climate Related	1- Flood and Drainge Managements
	2- Cyclones 3- Cloud burst 4- now Avalances 5- Thunder & Lighiting 6- Hailstorm 7- Tornadoes & Hurricanes 8- Droughts 9- Sea Erosion 10- Heat and Cold Waves
2. Geologically Related	11- Earthquakes
	12- Land Slides & Mudflow
	13- Dam Bursts & Dam Failurs 14- Mines Fires
3. Chemical, Indutrial and Nuchlear Realted	15- Chemical and Industrail Disasters 16- Nuclear Disasters
4. Accidental Related	17-Road, Rail and other Transportation accidents including waterways 18- Mine Flooding 19- Major Building Collapse 20- Serial Bomb Blasts/Riot 21-Festival reltead Disasters 22- Urban Fires 23- Village Fires 24- Oil Spill 25- Boat Capsizing 26- Forest Fires 27- Electraical Disasters & Fires
5. Biologically Related	28- Biological Disasters & Epidemics 29- Food Poisoning 30- Cattle Epidemics 31- Pest Attecks

सिरोही जिले की आपदा व जोखिम की संवेदनशीलता आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर बैठक में जिले में होने वाली सम्भावित आपदाऐं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओ से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया । कार्यशाला में जिले में संभावित आपदाऐं चिन्हित कि गई इनमें से मुख्यतः 5 आपदाओं के लिए विस्तृत एवं विशिष्ठ कार्ययोजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्ययोजना की अनुशंषा की गई ।

संवेदनशीलता:–

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती हैं ।

लोग + स्थिति +स्थान +समय + घटना

भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाए आवश्यक जन सेवाऐं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि भौतिक साधन हैं । जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता हैं ।

आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता

सामाजिक एवं परिस्थितिक दृष्टि से कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता हैं । यह इस बात पर निर्भर करता हैं कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी । खतरा विपदा और संवेदशीलता पर निर्भर करता हैं । गरीबी और संसाधनों की कमी संवेदनशीलता पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं ।

सिरोही जिलें में आपदा एवं जोखिम का विश्लेषण

जोखिम का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ	जुलाई–सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव ।	निचले क्षेत्र, भाहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी–भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव ।	ऊची ईमारत कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध घनी आबादी, बस्तियॉ
अग्नि/दावानल	मार्च–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, सम्पति का नुकसान	भाहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, वनीय क्षेत्र, आबूपर्वत
सडक दुर्घटना	कभी–भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	जिले के सभी भाग
ओलावृष्टि	मार्च–मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी–कभी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	पिण्डवाडा–आबूरोड
महामारी	कभी–भी	शारिरीक	जिले के सभी भाग
रसायन दुर्घटना	कभी–भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, सम्पति का नुकसान	औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रेल–अगस्त	मानव का नुकसान	जिले के सभी भाग
तापघात	अप्रेल–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिले के सभी भाग

जिले की सम्भावित आपदाऐं, नाजुक क्षेत्र (Vulnerable Areas) व विभागवार प्रतिकिया योजना (Response Plan)

सिरोही जिले की सम्भावित आपदाओं की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों का चिन्हिकरण किया गया हैं । जिनका उल्लेख इस प्लॉन में विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु आपदा गठित होने पर किये जाने वाले प्रयास (Prevntive & Mitigation Measures) का उल्लेख करते हुये विभिन्न विभागवार प्रतिकिया योजना **(Response Plan)** तैयार की गई हैं ।

सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता हैं जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रकमों पर पडता हैं । इसकी प्रभावशीलता निरंतर बढती जाती हैं तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं । भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया हैं– प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा । प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम वर्षा होती हैं जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत वर्षा कम होती हैं । सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति हैं जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षो से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो । यदि यह कभी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य हैं तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि कभी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता हैं ।

सूखा धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा हैं जिसके सामान्य संकेत वर्षा का कम होना या समय पर न होना या कम जलग्रहण होना, भू–जल स्तर का कम, फसलों का नष्ट, जलाश्यों से पानी का अभाव होगा ।

RainFall Data (Tehsi; Wise)

STATION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	TOTAL/10	AVERAGE EXCLUDING MT. ABU
MOUNT ABU	1729	1209	1878	1370	3284	698	1714	1781	1230.7	2171	2515	19579.7	1957.97	
ABUROAD	981	869	1498	733	1312	390	945	872	560	1130	1252	10542	1054.2	
PINDWARA	561	492	769	943	1236	331	709	742	644.2	1025	1113.2	8565.4	856.54	
REODAR	783	594	710	535	1636	226	750	819.5	632.5	773	1181	8640	864	864.63
SHEOGANJ	387	319	513	995	662	210	604	753.8	382.4	705.3	1539.8	7071.3	707.13	
SIROHI	439	446	800	795	1361	298	696	561	396	671.8	845.1	7308.9	730.89	
DELDAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	1145	2120	975	

सूखे से बचाव की कार्य योजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालिन योजना उपाय, बनाकर इस सूखा धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा हैं जिसके सामान्य संकेत वर्षा का कम होना या समय पर न होना या कम जलसंग्रहण होना, भू–जल स्तर का कम, फसलों का नष्ट, जलाश्यों में पानी का अभाव होना ।

दीर्घ कालिन उपाय	सूखे से पूर्व तैयारी	सूखे के समय कार्ययोजना
1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना ।	1. अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण ।	1. सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना ।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना ।	2. चारा डिपों स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण ।	2. सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाऐं काम में लेना ।
3. पानी के परम्परागत स्त्रोतो को पुनजीविरण ।	3. जानवरों के लिये शिविरों के स्थान चिन्हित करना ।	
4. पानी के संग्रहण एवं भू– कम्पों का पुनर्भरण	4. पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।	
5. मिट्टी व नमी का संरक्षण ।	5. स्वंय सेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना ।	
6. अत्यधिक मात्रा में पेड लगाना तथा पेडों की कटाई को रोकना	6. सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लडने हेतु तैयारी करना ।	
7. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग ।	7. रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि की विकास योजना तैयार करना ।	
8. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढावा देना ।		
9. स्वंय सहायता समूहों का गठन करके लोगो में पानी बचाने के लिये जागरूकता लाना ।		

जिला प्रशासन	सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा । हैण्डपम्प की मरम्मत करवानरा परम्परागत जल स्त्रोतो जैसे बावडी, टांको आदि का पुनः जीविकरण । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाऐं, मध्यान्ह योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि की कियान्वयन । पशुओं के लिये चारा डिपो स्थापित करना (परिशिष्ट संख्या 14) किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध कराना । अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान
चिकित्सा विभाग	प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना । मौसमी बीमारियों/संक्रमण रोगो की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेरामेडिकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था । राहत कार्यो के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
पशु पालन विभाग	मवेशियों के लिये शिविर लगाना । संक्रामक रोगो की रोकथाम के लिए पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना । बडी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयों एवं समय पर उनका संचालन करना ।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना । पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, केनवास बैग व हैण्ड पाईप लाईन की व्यवस्था करना । ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर कियानवयन करना ।
सिंचाई	सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना । राहत कार्यो के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करना ।
कृषि विभाग	खेती के लिये बीज तथा कीटनाशक दवाईयों उपलब्ध कराना । फसलों का चकानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना ।
वन विभाग	वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना । ईधन आदि के लिये पेडो की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना ।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा, अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी कियान्वयन । काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी कियान्दयन ।
समेकित बाल विकास सेवाएं	बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी कियान्वयन । राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना ।

सूखे से बचने के लिये क्या करें, क्या न करें ।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियों, टेलीवीजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें ।
- पानी की बचत करे तथा इसे बर्बाद होने से रोके । जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखे तुरन्त नल को बंद करें ।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितना आपको प्यास हैं । पूरा गिलास भरकर लेकर व झुठा छोडने से पानी बर्बाद होता हैं, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड जाये तो उसे पेड पौधों में डाले ।
- पाईप लाईन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवाये, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बैकार न बहता रहे ।
- कही भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सडक अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करे तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें ।
- घरों में वे ही पौधे लगाये जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती हैं । घास में दो दिन में एक बार पानी दे । फल, सब्जी व कपडे धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधो में डाले ।
- जल संग्रह हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखे ।
- सोने से पहले घर के सारे नलो को अच्छी तरह से बंद करे ।
- जल संग्रहण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें ।
- वर्षा के जल को टांके में संग्रकित करना ।

बाढ़ कार्य योजना

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी हैं । जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से हैं एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती हैं । यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती हैं, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती हैं और बाढ की उत्पति होती हैं । इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की परिस्थितियों पर भी पडता हैं । बाढ़ का सामान्य अर्थ होता हैं– विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना । यद्यपि बाढ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी हैं लेकिन मानवीय कियाकलाप भी कम उत्तरदायी नही हैं । भारत भी बाढ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है । विश्व में बाढ से होने वाली 20 प्रतिशत मौते भारत में होती हैं । भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवा भाग बाढ से प्रभावित होता हैं जो कि लगभग 4.10 करोड हैक्टेयर हैं ।

बाढ के कारण होने वाली जनहानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कठम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है । संरचनात्मक कदमों से बाढ के पानी से नुकसान पहूंचने वाले स्थानों पर जाने रोका जा सकता हैं । गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान संभावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता हैं ।

बाढ़ के मुख्य कारण:–

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेडो की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

संरचनात्मक उपाय	गैर संरचनात्मक उपाय
1– जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह सपर हुये अतिकमण को मानसुन के आने से पहले हटाना ।	1–बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियंत्रित करना ।
2– प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलो के नीचे से मिट्टी निकालना ।	2–बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना
3– बाढ़ संभावित क्षेत्रों मे से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना ।	3–बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण ।
4– मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास तथा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का निरीक्षण जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत ।	4–बाढ़ से बचने के लिये जन चेतना शिविरों का आयोजन ।
5– तटबंध पर बनाये गये स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना ।	5– बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिये क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे–रेडियों, अखबार, दुरदर्शन तथा बुकलेट से लोगो तक पहूंचाना
	6– भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियंत्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता हैं ।

बाढ़ से बचाव हेतु प्रशासन के उत्तरदायित्व

बाढ़ से पूर्व तैयारियाः–

बाढ द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की शिनाख्त करना तथा उनके विस्तृत मानचित्र बनाना ।

विगत वर्षो में, दो या तीन बार भीषण रूप से आई बाढ़ का विवरण तैयार किया जाना, जिससे बाढ़ के बाद पुनः सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाही उल्लेख हो । जिन स्थानों पर उचित रूप से पानी का बहाव न होता हो व पानी रूके रहने के कारण बाढ की स्थिति उत्पन्न होती हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों से पानी निकालने संबंधित योजना बनाई जाये ।

बाढ से बचाव हेतु सुरक्षित स्थानों का चिन्हित करना, जहां अधिक मात्रा में लोगो को ठहराने व पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो । साथ ही पर्याप्त मात्रा में अन्न संग्रहण की व्यवस्था करना । इन स्थानों के बारे में जन–जन को पूर्व में सूचित करना ।

जिला मुख्यालय पर कलक्टर की अध्यक्षता में राहत कमेटी बनाना जिसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्षों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं की सहभागिता हो ।

चिकित्सा विभाग को बाढ़ से उत्पन्न बिमारियों से निपटने हेतु दवाईयों व रेस्पोन्स टीम के साथ तैयार रखना ।

बाढ से प्रभावित जन संख्या को सुरक्षित स्थानों पर पहूंचाने के लिये जीप, ट्रेक्टर, बैलगाडीयों का अग्रिम रूप से प्रबन्ध रखना जो तीन फूट तक पानी में परिवहन व्यवस्था में काम आ सके ।

बाढ से प्रभावित होने वाले चार–पांच गांवों की बचाव व राहत टीम तैयार करना जो आपदा के समय मनुश्यों व जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहूंचाने व उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराने में मदद कर सके ।

बाढ़ के दौरान तैयारिया :–

निवास क्षेत्र से बाढ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु आवश्यक कदम उठाना। बाढ के पानी के लिए उचित मार्ग बनाना ताकि यह भीघ्र प्रवाहित हो जहां भी आवश्यक हो पानी निकालने हेतु फ्लड पंप लगाना। बाढ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु नहर/निकास के प्रयोग को संभव बनाना।

बाढ़ के बाद तैयारिया :–

जहां भी हो, लोगों व जानवरों को मूल क्षेत्र में पुनः स्थानांतरित करना ।

मकानों की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करना प्रभावित परिवारों को नियंत्रित दरों पर आवश्यक वस्तुएँ और राशन उपलब्ध कराना

जल्द से जल्द सडकों/रेल्वे लाईन का पुर्ननिर्माण कर परिवहन सेवाएँ परिचालित करना। जल्द से जल्द दूरसंचार प्रणाली को प्रारंभ करना।

हानि मूल्यांकन और दावा मूल्यांकन हेतु विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।

प्रशासन द्वारा तैयार मानदण्डों पर प्रभावित लोगों को राहत राशि देने की व्यवस्था करना।

बाढ़ कंट्रोल रूम तैयार कर सम्पर्क सूत्र नेटवर्क तैयार करना :–

बाढ नियत्रंण कक्ष की स्थापना दिनांक 15 जून से प्रारंभ कर दी जावें। जिला नियत्रंण कक्ष का टेलीफोन नं. 02972–225327 हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 जून से 30 सितम्बर तक कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घण्टें बाढ नियत्रंण कक्ष संचालित रहता हैं। जिसके नं. 02972–225327 एवं 221240 हैं। बाढ नियत्रंण कक्ष पर 24 घण्टे 12 (नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक) मय लाईफ जैकेट, रस्से, ड्रेंगन लाईट आदि बचाव कार्यो में आवश्यक सामग्री सहित तैनात रहते हैं। बचाव प्रकोष्ठ द्वारा वर्षो के आंकडे बांधो के गेज नदियों में जल प्रवाह, डिस्चार्ज तथा अतिवृष्टि से उत्पन्न संभावित खतरे आदि की सूचना विभाग एवं जिला प्रशासन को प्रेषण किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाएगा।

जिला कंट्रोल रूम, सिरोही – 02972 225327
सिंचाई विभाग, सिरोही – 02972 222592
प्रभारी अधिकारी (अति. कलक्टर प्रशासन) सिरोही – 02972 220355,

वाहन व्यवस्था :–

वर्तमान में खण्डीय कार्यालय के पास ट्रक, ट्रेक्टर वाहन एवं नाव की व्यवस्था सूची हैं।
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अपने स्तर पर नावों की सूची प्राप्त कर नियत्रंण कक्ष एवं टी.डी.आर. को उपलब्ध करा दें।

वैकल्पिक मार्ग :– संभावित बाढ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभावित व्यक्तियों को संलग्न सूची में उल्लेखित अनुसार वैकल्पिक मार्ग द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा।

आपदा संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा संबंध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियत्रंण करके नियमों का पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं।

अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ संभावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।

बांधो की मरम्मत हेतु सामग्री पहुंचाने वाले रास्ते की सूची संलग्न है।

सिंचाई विभाग :–

- सुरक्षित स्थानों का चयन परिशिष्टों की सूची
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना।
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालिन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।

बाढ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियों फैल जाती हैं इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती हैं कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आव यकता पडने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।

- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची परिशिष्टों की सूची
- तैराकों की सूची परिशिष्टों की सूची

चिकित्सा विभाग :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग को नोडल अधिकारी होता है। बाढ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। आपात कालिन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलें तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन करेगें।

- चिकित्सा अधिकारी – 01
- स्वास्थ्य निरीक्षक – 01
- मेल नर्स – 01
- एमपीडब्ल्यू – 01
- वार्ड बॉय – 01
- वाहन चालक मय वाहन – 01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरंत प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार प चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आव यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिलें के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडीकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबंद किया जायेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :–

- जिलें में बाढ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रंण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घंटे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः भारू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के भाुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना ।
- समस्त अधि ाशी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, कनिश्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्दे । दिये जायेगें।

जिला रसद विभाग :–

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसीन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग :–

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओ में सक्रांमक रोग, कुपोशण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेशण एवं नियत्रंण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदा होगें।
- मोबाईल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगो से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगो के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औशधियां उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील मे आउट ब्रेंक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियत्रंण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से संपर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ हैं तथा प्रत्येंक स्थिति के नियत्रंण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया हैं।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्रो की सूचनाओं का सम्प्रेंशण करने हेतु प्राधिकृत हैं। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत प ु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला प ुपालन नियत्रंण कक्ष से संपर्क मे रहकर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विधुत विभाग :–

जिलें में विघुत का संरनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था हैं फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक हैं।

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोश्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोश्ठ प्रभारी होगें।
- विघुत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरंत लाईनों में विघुत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही भीघ्रता से पूरी करना।
- आव यकता पडने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरंत प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग :–

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टॉफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिम्मेदार होगा ।
- आपदा से निपटने के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा ।
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलिफोन,फोर्स को परिवहन हेतु छोटी–बडी गाडी अच्छी स्थिति में दुरस्त होनी चाहिये ।
- कन्ट्रोल रूम 24 घन्टे की सेवाये कार्यरत होगी तथा आरएएफ,आरएसी की टुकडियां तैनात रहेगी ।

एन.सी.सी./एन.एस.एस:–

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहूंचाकर जन जीवन को राहत पहूंचाने में मदद करेगा ।

नगर परिषद/नगरपालिका:–

- नालो की सफाई का कार्य करवाना ।
- बहाव क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाना ।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटो की उपलब्धता कराना ।
- मिटट् के कट्टे उपलब्ध कराना ।
-

मीडियॉ

- समय समय पर बुलेटिन जारी करना ।
- आपदा में घायल एवं मृतकों की सूची उपलब्ध कराना ।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना ।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदानः–

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी । आपदा संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगो का सीधा संबंध जन संख्या धनत्व से होता हैं । अतः बाढ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या धनत्व को निर्धारित करना चाहिये तथा अगर पहले से लोग बसे हुये हैं तो भू उपयोग नियंत्रण करके नियमों को पालन करें । संवेदन शील क्षेत्रों में लोगो को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं । अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने लिये विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिये । उच्च बाढ संभावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिये प्रकृति व पशुओं के लिये सुरक्षित स्थानो पर वनो के लिये आरक्षित करना ।

हलके भवन निर्माण सामग्री का बाढ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहियें तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहॉ पर बाढ नियंत्रण के उपाय कर लिये गये हैं । बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिये ।

Tehshil wise Flood Prone Area District Sirohi

तहसील	नदियॉ	गांव
सिरोही	कृष्णवती,वाडेली (भारी वर्षा के कारण)	जावाल, जामोतरा, भूतगांव, बारलूट, मण्डवारिया, देलदर
आबूरोड	वेस्ट बनास (भारी वर्षा के कारण)	किवरली, आमथला, तरतोली, कारोली, आबूरोड टाउन, सांतपुर
रेवदर	सीपु नदी, करोटी, लोकलक नाला (भारी वर्षा के कारण)	गुलाबगंज,छापोल, करोटी, निम्बोडा, जायठा, भीलडाखेडा, रापुरा, पिलोची, सेलवाडा, रोहूआ
शिवगंज	जवाई, सुकडी, घरवट सागरी, लोकल नाला	देवली, शिवगंज, बडगांव, चांदाणा, लखमावा, बुडेरी
पिण्डवाडा	पश्चिमी बनास, सुकली	मुरारीखेडा, धनारी, भांवरी, पातुम्बरी, खाखरवाडा, काछोली, नितौडा

जिले के प्रमुख बांध

जल संसाधन खण्ड के अधीन व पंचायत के अधीन एवं जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर के अधीन सिरोही जिले में कुल 58 बांध, तालाब आते हैं जिनकी पूर्ण भराव क्षमता 6421.50 (मिलीयन घन फीट) (McFt) हैं तथा इनके द्वारा 60455 एकड भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं । तीन सौ हैक्टेयर क्षमता के तालाबों को पंचायती राज. संस्थानों को हस्तान्तरित किया जा चुका हैं । सिरोही जिले में प्रमुख बांध वेस्ट बनास, अणगौर बांध, ओडा बांध, धान्ता बांध, कामेरी बांध, पोईदरा बांध, बगेरी बांध, मूंगथला बांध, टोकरा बांध, उडवारिया बांध, मण्डार नाला (प्रथम हैं)

जिले में बाढ़ से प्रभावित गॉवों की सूची

Flood Prone Area/Dams Breakness

क्र. सं.	तहसील (Tehsil)	बांध (Dams)	प्रभावित गॉव/अधिवास Affect Prone Area/Village	प्रभावित होने वाली जनसंख्या (Population Effected)
1	आबूरोड	वेस्ट बनास	धनारी, स्वरूपगंज, भावरी, नई धनारी, काछोली, उडवारिया, भीमाना, नानरवाडा, खाखरवाडा, सांगवाडा, फूलाबाई खेडा, भारजा, अचपुरा, कासिन्द्रा, किवरली, आमथला, तरतौली व आबूरोड शहर का नदी के पास का भाग, कारोली	2500
2		बगैरी	गिरवर, चिनार	1200
3		मूंगथला	मूंगथला, आवल, गौथाडा,धामसरा	1500
4		गिरवर	गिरवर, चिनार	1000
5		कुईसांगना	आबूरोड, कुई गांव	1500
6		चंडेलाव	गिरवर,चिनार, चंडेलाव	2000
7		चिनार	गिरवर, चिनार	700
8		वाजणा	वाजणा	450
9		महादेव नाला	क्यारिया, मूदरला, आमथला,कारोली	850
10		मंडोवरी	आबूरोड, सांतपुर	2000
11		रानेलाव	किवरली	950
12		वालोरिया	पुनिया, कम्बोई	650
13	रेवदर	टोकरा	पीथापुरा,मालगांव, गुलाबगंज	2500
14		दोलपुरा	धवली, दोलपुरा	1900
15		उडवारिया	सिरोडी, असादा	1500
16		बूटडी	बूटडी, मकावल, भैरूगढ, फतेहपुरा	3500
17		मंडारनाला	करेली, भैरूगढ	2000
18		करोडीध्वज	अनादरा, शेरगढ	4500
19		जीरावल	जीरावल, बीकनवास	2000
20		पालडीखेडा	पालडीखेडा, दत्ताणी	2100
21		सांगरलीखेडा	गुलाबगंज	500
22		बढेची	बढेची	800
23		थल	थल, लिलोरा,भवानगढ	1000
24	सिरोही	जावाल	सीधा कृष्णवती नदी, बरलूट	1000
25		धान्ता	धान्ता गांव	2000
26		अखेलाव मानसरोवर	भाटकडा(सिरोही)रामपुरा,शान्तिनगर का नाला,नवाखेडा, जीएसएस एवं कॉलोनी	2500
27		कामेरी	बलवन्तगढ,पाडीव,मंडवाडा,जावाला	4000
28		अणगौर	पाडीव, अणगौर गांव की नीचली बस्ती	15000
29		पोईदरा	पोसीतरा,मंडवाडा का गोलिया, मडिया	5000
30		निम्बोडा	मडिया, आकूना	4200
31		चडवाल	चडवाल, बावली	2100
32		फाचरिया	तंवरी, फाचरिया,मोहब्बतनगर	3500
33		तंवरी	तंवरी	1500
34		आमलारी	आमलारी, पुनावा	900
35		कुनरीया	रामपुरा	500
36		वेलागरी	कृष्णगंज,वाडेली	2300
37	शिवगंज	ओडा बांध	ओडा, अखपुरा, नारादरा,लौटीवाडा, उम्मेदगढ, माडानी	20000
38		बडगांव	बडगांव	1000
39		गोडाना	गोढाना, खेजडिया, केशरपुरा	4000
40		गोडाना/धुबाणा	चूली, खेजडिया व वेराजेतपुरा	2000
41	पिण्डवाडा	भूला बांध	रोहिडा, भूला	2000
42		लुनेरी बांध	रोहिडा, लुनेरी	2000
43		खारा	खारा	1000
44		केर	नितोडा, माण्डवाडा,केर	3000
45		माण्डवाडा	नितोडा, माण्डवाडा	5000
46		सरूप सागर	सेवडा,पिण्डवाडा	7000
47		कादम्बरी	पिण्डवाडा	7000
48		जुबली	पिण्डवाडा	3000
49	बाली(पाली)	आमलिया	आमलिया,आमली,पिण्डवाडा	3000
50	रेवदर	सुकली सेलवाडा	रेवदर, मण्डार	15000

जनसाधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाः–

बाढ़ आने से पहलेः–

यदि कई धण्टों तक तेज बारिश हो रही है अथवा कई दिनों से धीरे–धीरे बारिश हो रही हो तो बाढ़ आने की सम्भावना से सर्तक हो जाये । संकटकालीन सूचनाओं के लिए रेडियो व टेलीविजन को निरंतर ध्यानपूर्वक सुने ।

ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय स्टेशन, लाउडस्पीकर अथवा अन्य माध्यम से आपको सबसे सही सलाह प्रदान करता हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुने व उनका अनुसरण करें ।

बाढ़ के लक्षणों के प्रति सर्तक रहे । चेतावनी का मतलब होता हैंकि बाढ़ आपके क्षेत्र में आ सकती हैं अथवा आना आरम्भ हो गयी हैं । सबसे महत्वपूर्ण आपका बचाव हैं । बाढ़ की सम्भावना होने पर तुरन्त अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाये ।

पलायन करते समय अपने पालतू जानवर को भी सुरक्षित स्थान पर पहूंचाने की व्यवस्था करें । सुरक्षित स्थान न मिलने पर जानवरों को खोल दे ताकि वे स्वंय सुरक्षित स्थान ढूंढ सके ।

बाढ़ आने से पहले गाडी चलाना अधिक सुरक्षित व आसान होता हैं इसलिये कोशिश करे कि आप शीघ्र बाढ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल जाये । बाहर निकलने के लिये सुरक्षित स्थान पर पहूंचना संभव न हो तो अपने घर में प्राथमिक चिकित्सा का सामान तथा अन्य खाद्य सामग्री व पेयजल पर्याप्त मात्रा में ऊचे व सुरक्षित स्थान पर रख ले । अपने घर की नालियॉ को साफ रखें ।

बाढ़ के समयः–

आने घर के सभी विद्युत उपकरणों व मुख्य स्विच को बंद कर दे ।

तुरन्त ऊचे स्थान पर चले जाएं । यदि आप घर के अन्दर कमरे में हैं, जहॉ पानी भरना शुरू हो गया हो तो तुरन्त छत पर चले जाऐं । जहरीले जन्तुओं के प्रति सर्तक रहे ।

सुरक्षित जल व खाद्य सामग्री का ही प्रयोग करे ।

यदि आप बाहर हैं तो बाढ़ के पानी से दूर किसी ऊचे स्थान पर चढ जाएं ।

यदि आप बहते हुये पानी में आ जाएं जहां पानी आपके घुटने से ऊपर हो तो तुरन्त रूक जाएं तथा दूसरे रास्ते की तरफ बढे ।

अधिकतर दुर्घटनाएं बाढ़ के पानी में तैरने व खेलने से होती है, उनसे बचे ।

यदि आप गाडी चला रहे हो तो बाढ वाले क्षेत्र की तरफ न जाऐं ।

यदि गाडी चलाते समय आप पानी का स्तर बढता हुआ देखे तो तुरन्त अपना रास्ता बदल लेव बहते पानी को पार करने की कोशिश न करें ।

तेज बारिश के दौरान पुल, बांध व नदियों से दूर रहे ।

बाढ़ के बाद:–

बाढ़ के दुषित पानी से कई बीमारिया फैल जाती हैं, प्राथमि चिकित्सा के लिए तुरन्त नजदीक के अस्पताल अथवा क्लिनिक में जायें ।

आपदा प्रभावित क्षेत्र से दूर चले जाये, क्यों कि आपकी उपस्थिति अन्य राहत कार्यो में व्यवधान डाल सकती हैं तथा दुषित पानी व संक्रमित रोग आप पर असर डाल सकते हैं ।

अपने क्षेत्र की खबरों को रेडियो, टेलीविजन व लाउडस्पीकर के माध्यम से निरंतर सुनते रहें व निर्देश मिलने पर ही अपने घर में पुनः प्रवेश करें ।

बाढ़ प्रभावित इमारतों से दूर रहे क्यो कि बाढ के पानी से कई–कई इमारतों की नींव कमजोर हो जाती हैं व उनके ढह जाने का खतरा बढ जाता हैं ।

इमारत में प्रवेश करते समय पूर्ण सावधानी रखें ।

टॉर्च अथवा लालटेन से इमारत की दीवारों, खिडकियों, फर्श व सीढ़ियों का निरीक्षण करें तथा पूर्ण सन्तुष्टि होने पर ही आगे बढे ।

खाद्य पदार्थो को ढक कर रखे व पानी को विसंक्रमित करके ही पिये ।

अपने आस–पास के बच्चों, बुजुर्गो, व अन्य असहाय लोगो को सहायता उपलब्ध कराने में मदद करे ।

सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करे ।

राहत कार्यो में प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद करें ।

भूकम्प कार्य योजना

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता हैं । सामान्यता भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोम के स्त्रात से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं । जिस प्रकार शान्त शान्त जल में पत्थर का दुकडा फैकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों और लहर उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोम केन्द्र से चारो ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं । अधिकांशत भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई के उत्पन्न होते हैं । जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उदगम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं । इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं ।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता हैं । भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता हैं । भूकम्प के कारण जहां एक और प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता हैं, वही दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहूंचाती हैं, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही संभव हो पाती हैं तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता हैं ।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था । यह विगत 150 वर्षो में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था । जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था । इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये । राज्य में लगभग 30 हजार करोड रूपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी । इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये था 16,000 लोग मारे गये ।

भूकम्प के मुख्य कारण:–

- ज्वालामुखी किया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसो का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिक

भूकम्प की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊसिंल ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया हैं । अनुमानतः संशोधित मर्कारी मापक पर तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं ।

भूकम्प की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्रा से भूकम्प का अनुभव होता हैं ।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुये व्यक्तियोंद्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खडी निर्जीव वस्तुओं के कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव,सोये व्यक्ति जाग जाते हैं ।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएं हिलने लगती हैं ।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पडकर भूकम्प का आतंक छा जाता हैं ।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊची इमारते गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड जाती हैं	6.2
विनष्टकारी	मकान धंस जाते हैं । भूमि में दरार पड जाती हैं । पाईप लाईने टूट जाती हैं ।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारे पड जाती हैं । ढालों में भूस्खलन होता हैं ।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेल्वे लाईने टूट जाती हैं । महान भू–स्खलन नदियों में बाढ आ जाती हैं	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं । धरातल में धसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं ।	8.1 से अधिक

सिरोही जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड में रखा गया हैं एवं भूकम्प के विगत वर्षो के आंकडे यह प्रदर्शित करते हैं कि हाल के कई वर्षो में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नही आया हैं । किन्तु बढते शहरीकरण जो ऊची इमारतो एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ रहा हैं चिंता का मुख्य विषय हैं । परिसरों हेतु आवश्यक मानको का पालन यहां नही किया जाता हैं ।

सिरोही जिले में भूकम्प आने पर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल ऐजेन्सी बनाया गया हैं । ऐजेन्सी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण इमारते ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया हैं ।

कार्य योजना:–

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी ।

जिला प्रशासन:–

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना ।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना ।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना ।
- कानून एवं व्यवस्था बनाऐं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहूंचाना ।

नागरिक सुरक्षा, एन.सी.सी. एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईडस:–

- स्वंय सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना ।
- मलबे में फसे हुए लोगो को निकालने में प्रशासन की सहायता करना ।
- पीडितो को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना ।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना ।
- वायरलेस आदि से सूचना पहूंचाना ।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलवा आदि उठाने के लिये वाहन उपलब्ध कराना ।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना ।
- अन्य ऊचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना ।
- लोगो को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना ।
- बुरी तरह घायल लोगो को अस्पताल पहुंचाना ।
- चिकित्सकों पैरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना ।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी., स्वंयसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद, नगर पालिकाऐं, विद्युत विभाग, पशपालन, दूर संचार विभाग, जल संसाधन विभाग सामान्य कार्ययोजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेगें ।

क्या करें या न करें भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये कि गंभीर भूकम्प के फलस्वरूप अधिकांश समस्याऐं, गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती हैं, भूमि की क्षति से नही ।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे । भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए । किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुए पलट कर गिर सकती हैं ।
- खिडकी तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं उन्हें बिस्तर से दूर रखे । बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें ।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहूंचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें ।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें ।
- आपातकालिन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरन्त तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहूंच उपलब्ध रखे ।

आपदा के दौरान व पश्चात

- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहे । यदि हो सके तो मेज पंलग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाये अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथो, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक ले ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सके ।
- बाहर की ओर तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित हैं ।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती हैं । सीढ़ियों की और न भागे क्यों कि धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती हैं तथा इससे विकास भी संभवत प्रभावित हो सकता हैं ।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बडी दीवार के नजदीक खडे न हो क्यों कि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान हैं ।

  जब आप बाहर हैं तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेडो एवं विद्युत तारों से दूर रहे । खुले क्षेत्र में तब तक रूके जब तक कंपन खत्म न हो ।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाडी को भवन व बडे पेडो से दूर सुरक्षित स्थान पर रोककर खडे जाये एवं अन्दर रहे । यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं । किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान हैं । पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊंची इमारतो के नजदीक न रहें । पलाई ओवर, पूल के नीचे या ऊपर न रहे ।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुए, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुये रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखो ।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसे लोगो को निकलवाने में मदद करें ।
- चोट की जांच करे तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें । पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/ रोगी वाहन 102 को सूचना दे ।
- आग की जांच करे ।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें । गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलाये ।

सडक दुर्घटनाऐं

सिरोही जिले में कुल सडकों की लम्बाई 1426.783 कि.मी. हैं । यहॉ सडक दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नही होना, सडक के दोनो ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनो का समय पर नजर नही आना तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारिया बैठाना हैं ।

जिला **सिरोही से दो राष्ट्रीय राजमार्ग 14 व 76 नम्बर गुजरते हैं** जो कि शिवगंज, सिरोही, पिण्डवाडा, आबूरोड आदि स्थानों से गुजरता हुआ पालनपुर–अहमदाबाद को जाता हैं तथा दूसरा पिण्डवाडा–उदयपुर निम्बाहेडा चित्तौडगढ को जाता हैं । इन राष्ट्रीय राजमार्गो पर प्रतिदिन लगभग 10 हजार वाहन गुजरते हैं तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दवाब बना रहता हैं । यहॉ पर अधिकतर दुर्घटनाऐं ओवर टेंकिंग के कारण होती हैं ।

सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्गो पर कुछ प्वाईन्ट ऐसे हैं, जहॉ अधिकांश सडक दुर्घटनाये घटती हैं ।

सडक मार्ग	दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र
राज्य राज. मार्ग नं. 27	सिरोही, गुलाबगंज, अनादरा, डबानी, करोटी, मगरीवाडा, सोनेला
राष्ट्रीय मार्ग नं. 14	अनाचरा चौराह, बारी घाटा, अंबाजी चौराह, किवरली, ओडा, नाका, नया सानवाडा, पालडी, डबाणी, सरगा माता मंदिर के पास, भांवरी चौराह, पश्चिमी बनास बांध के पास धनारी, चवरली रेल्वे फाटक के मोड पर, झाडोली ग्राम के मोड पर ।
सिरोही रोड से सिरोही	बारीघाटा, सिरोही
राष्ट्रीय मार्ग नं. 76	पिण्डवाडा से उदयपुर सीमा सडक तक

दुर्घटना घटित होने पर:–

दुघर्टना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं । अगर कोई दुर्घटना हो गयी हैं तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती हैं । इसके लिये जरूरी हैं कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोडकर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें । यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नही हो तो निकस्थ ग्राम के पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक, ए.एन.एम. सरपंच, या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सके । प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिये सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नही हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं । घबराईये नही घायल की मदद करना मानवीय दायित्व हैं ।

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटना कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं । अगर कोई दुर्घटना हो गई हैं तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती हैं । इसके लिये जरूरी हैं कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोडकर उसकी मदद करें तथा 100, 101, 102, 104 व 108 पर तुरन्त सूचना दे । प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिये सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नही हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं ।

दुर्घटना से पूर्व :–

संरचनात्मक उपाय:–

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साईन बोर्ड आदि लगाये जाऐ ।

गैर संरचनात्मक उपाय:– सडक दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सडक नियमों का पालन करे ।
- तेज रफ्तार से गाडी न चलाऐं ।
- शराब पीकर गाडी न चलाये ।
- हैलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधे ।
- बाई तरफ से ओवरटेक न करे ।
- हाथ देकर एक दम न मुडे ।
- दांई व बांई और ध्यान से देखकर ही सडक पार करे ।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखे ।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चले ।
- बच्चो को सडक पर न खेलने दे ।
- बच्चों को गाडी न चलाने दे ।

दुर्घटना के दौरान :–

जिला प्रशासन का कर्त्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहूंचाने की व्यवस्था करना ।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन ।
- अफवाहों को फैलने से रोकना ।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना ।
- पीडितों को आर्थिक मदद देना ।
- जनता तक सही सूचना पहूंचाना ।
- हानि का आंकलन करना ।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरो की सूची
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना ।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना ।
- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरो की सूची
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना ।
- दवाईयॉ व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना ।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड को संतुलित करना ।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना ।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना ।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना ।
- चिकित्सा व्यवस्था करना ।
- एक्सीडेन्ट वैन की व्यवस्था करना ।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्धन करना ।
- पीडितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना ।

परिवहन विभाग

- घायलों को पहूंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था करना ।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए केन , ट्रेक्टर, डम्पर,एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था ।

नगर परिषद/पालिका/पंचायत विभाग

- टैंटो की व्यवस्था ।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था करना ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था ।
- जनरेटरों की व्यवस्था ।
- मृतको के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्धन ।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना ।

अग्नि दुर्घटना

अग्नि दुर्घटना कार्य योजना

मानव सभ्यता के विकास के कम में आग का स्थान महत्वपूर्ण हैं । प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिये तथा भोजन पकाने के लिये आग का प्रयोग करता था । वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण । अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी । आग के प्रकोप में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं । जिले में पेट्रोल पम्प, कारखानों, गोदामों, भूमिगत गैस पाईप लाईन, खेत खलिहान, दुकान, सिनेमाघर आदि में कभी भी आग लग सकती हैं । अतः आग की रोकथाम हेतु आग लगने के प्रकार के अनुसार ही बचाव कार्य प्रारम्भ किया जाता हैं ।

आग लगने के मुख्य कारण:–

(1)– **शहरो में:–**

शहरों में रसोई घर में गैस जलाकर इधर उधर चले जाने से या गैस का पाईप लीक होते रहने से आग लग सकती हैं ।

कभी–कभी पाईप पुराना होने के कारण लीक करने लगता हैं तथा ही गैस जलाने के लिये माचिस जलाई जाती हैं या बिजली का बटन ऑन किया जाता हैं तो आग लग सकती हैं

कच्चे धरों में पुराने तरीके से चूल्हों पर भोजन पकाने के लिए लकडी या कोयले की अंगीठी जलाई जाती हैं, वह भी असावधानी बरतने के कारण आग को बुलावा देती हैं ।

यंत्रों के अधिक गर्म हो जाने अथवा चिंगारियॉ छोडने के कारण :–

आज कल शादियों में पंडाल बनाये जाते हैं । वही पर भोजन पकाया जाता हैं, जिसमें गैस की या लकडी की भटिटयॉ जलाई जाती हैं । जिससे आग लगने की सम्भावना बनी रहती हैं । डबवाली

अग्निकाण्ड इसका एक उदाहरण हैं । साथ ही बिजली का शार्ट सर्किट भी इन पंडालों में आग लगने के कारण हो सकता हैं ।

व्यवसायिक और रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटना प्रायः होती रहती हैं क्यों कि वहां पर लकडी, कपडे, रसायनिक पदार्थ, विद्युत उपकरण, रसोई गैस, मिट्टी का तेल आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि थोडी सी असावधानी के कारण आग लगने का कारण बन सकते हैं ।

बिजली फिटिंग में लापरवाही के कारण :–

उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल को अलग करने के लिए दीवन होना ।
कपडे, प्लास्टिक, लकडी एवं कागज के उद्योगों में असावधानी के कारण पैकिंग सामग्री असावधानी पूर्वक प्रयोग के कारण

ज्वलनशील पदार्थो के अधिक मात्रा में एक स्थान पर एकत्रित होने से भी आग लग सकती हैं । बहुमंजिली इमारतो में यह आग भयावह रूप धारण कर लेती हैं । शहरों में भी कई खाली प्लाटां में झाड–झंकाड उगे रहते हैं जहां लापरवाही सी बीडी फेक देने से उनमें आग लग सकती हैं, जो आस पास के मकानों मे लिए खतरनाक हो सकती हैं ।

वर्षा ऋतु में कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग सकती हैं ।
कपास की मंडियों में कपास के ढेरों मे असावधानीवंश आग लग सकती हैं ।

पेट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों एवं छविगृहों में भी थोडीसी असावधानी आग लगने का कारण हो सकती हैं । जिससे जान माल की अपार हानि हो सकती हैं ।
औद्यौगिक ईकाईयों में अत्यधिक ज्वलशील रसायनों का भंडारण अथवा असावधानीपूर्ण प्रयोग भी भंयकर आग का कारण हो सकते हैं ।
कई स्थानों पर कई परिवार बिजली के तारों से सीधे ही तार लगाकर बिजली ले लेते हैं । कभी–कभी यह भी आग लगने का कारण हो सकता हैं ।

(2)– गांवों व जंगल में:–

ग्राम्य क्षेत्र में कच्चे मकान व फूस की झोपडियों में बीडी एवं सिगरेट पीकर एवं माचिस आदि जलाकर इधर–उधर फैक देने से आग लगने की संभावना अधिक रहती हैं ।

बिजली के शॉट सर्किट होने के कारण भी यह संभावना रहती हैं ।

शुष्क प्रदेश होने के कारण पहाडों एवं जंगलों में पेडो के आपसी रगड से आग लगने की संभावना रहती हैं एवं जंगलो में आग शीघ्रता से फैल जाती हैं ।

कई लोग बिस्तरों में लेटकर बीडी व सिगरेट पीते रहते हैं । यह आग को निमंत्रण देने एक साधन हैं । राख में बिना बुझी आग आदि इधर–उधर फैकने से, जलती हुई चिमनी आदि के बिना ढके होने से और कचरे आदि बचे हुए पदार्थो को असावधानीपूर्वक जलाने से भी आग लगने की संभावना रहती हैं ।

आतिशबाजी करने से, सूखी घास में आग लगा देने और एक घर से दूसरे घर में असावधानीपूर्वक आग ले जाने से भी आग लग सकती हैं

अधिकांश गांवों में भी अभी भी मिट्टी के दीपक या चिमनी अथवा लालटेन जलाकर रोशनी की जाी हैं जिसकी वजह से थोडी भी हवा चलने पर या थोडी भी लापरवाही के कारण कच्चे व फूस के घरों में आग लगने की संभावना रहती हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगो के द्वारा खेतो में आग लगाकर छोड देने से, फसल पक जाने के बाद खलिहानों में बीडी सिगरेट माचिस आदि का लापरवाही से प्रयोग करने से

और फसलों की कटाई के उपरान्त सूखे डंढलों को लापरवाही से जला देने के कारण भी हवा चलने से चारों और आग फैलकर भयावह रूप धारण कर सकती हैं ।

बम विस्फोट/आतंकवादी घटना

वर्तमान परिस्थतियों में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर हैं । आतंवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिये आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रकिया बम विस्फोट हैं । इस किया का मुख उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान–माल को अधिक से अधिक हानि पहूंचाना हैं । यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता हैं जहॉ अधिक लोग एक साथ इक्ट्ठे होते हैं । मंदिर, मस्जिद, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा, स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं लेकिन सिरोही जिले में गत वर्षो में इस प्रकार की घटना घटित नही हुई हैं ।

अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही

1– बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेगें । साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती हैं । जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती हैं तथा बम की रासायनिक गुणों का पता लगाती हैं ।

2– हताहतो को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ।

3– एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता हैं । इसलिये अधिक सकियता बरतेंगे ।

4– घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देगें ।

5– मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करेंगे ।

6– आतंकवादियों को पकडने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सकियता दिखायेंगे ।

7– खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देगें ।

साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मो के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषो के कारण छोटे–छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रकिया होने की संभावना बनी रहती है । उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है ।

साम्प्रदायिक तनाव व दंगे की स्थिति में जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करती है। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभाव शाली लोगों को बुलाते है तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते है।

ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

अध्याय –4

Institutional Arrangments For DM

आपदा प्रबन्धन हेतु जिले की संस्थागत व्यवस्थाएं

आपदाओं के प्रबंधन हेतु जिला कलक्टर उत्तरदायी रहेंगे तथा इसके लिये आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुये निर्णय लिये जावेंगे । किसी भी विभाग की आपातकालीन सेवा प्रदान करने के दिशा निर्देश दिये जावेगें । जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) जिला आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

आपदा प्रबन्धन हेतु जिले की संस्थागत व्यवस्थाए

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम)
- उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति
- ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

स्थाई व्यवस्था:– प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ.8(4)आ.प्र.एवं स.आ./आ.प्र./19361 दिनांक 06.09.2007 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की घारा 25 की उपधारा (1) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गई हैं । जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का कियान्वयन करेगा । जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया हैं। जिसमें निम्नांकित सदस्यों को सम्मिलित किया गया हैं।

क.सं.	पद नाम	
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख	सह अध्यक्ष
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,	सदस्य
4	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)	सदस्य सचिव
6	सांसद (लोक सभा)	स्थाई आमंत्रित सदस्य
7	विधान सभा सदस्य	स्थाई आमंत्रित सदस्य
8	अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि.	सदस्य
9	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड	सदस्य
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
12	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य

जिला संकट प्रबन्धन समूह

इसका मुख्य उत्तरदायित्व समय–समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जांच करना, उद्योगों में मॉक ड्रील करवाना एवं रसायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 08 के अन्तर्गत आपातकालिन तैयारी योजनाएवं प्रतिक्रिया का कियान्वयन करना हैं ।

जिला कार्यकारी समिति (डीईसी)

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना हैं । जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व /सहायता होता हैं ।

तहसील आपदा प्रबन्धन समिति

तहसील स्तर पर तहसीलदार समिति का अध्यक्ष होगा, एवं अन्य तहसील एवं विभाग तहसीलदार को आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे । नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशु चिकित्सक, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक इत्यादि समिति के सदस्य रहेगें । तहसील की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी । तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उददेश्य संशाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संशोधन एवं नवीनीकरण करना होगा ।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष मनोनीत सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होगे । इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग,स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वंय सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत दक्ष व्यक्ति, आंगनवाडी कार्यकर्ता समिति के दस्य होगें । ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान–माल के नुकसान को रोकना हैं । प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी , जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगा, जिसे वर्ष में एक बार संसोधित करना आवश्यक होगा ।

नियंत्रण कक्ष–

- ⇨ नियंत्रण कक्ष जिला कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित हैं ।
- ⇨ नियंत्रण कक्ष में कुल 06 कार्मिको की तीन पारी में नियुक्ति की गई हैं । (02 कार्मिक हर पारी में ।
- ⇨ नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्ष के नाम, पता व दूरभाष नम्बर उपलब्ध हैं ।

आपदा के दोरान विभिन्न विभागों की भूमिकाऐं

कलक्टर की भूमिका	सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटाने के लिए सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना । आपदा स्थल पर नियंत्रण नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना । आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिये अलग–अलग काउन्टर बनवाना । आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इक्ट्टा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना । सभी विभागों में समन्वय करना । समय–समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडियों हेतु सूचनाएं व आकडे तैयार रखवाना ।
	आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए सर्वेक्षण दल की स्थापना करना । रेल्वे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान कराना । नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित कराना । सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय कराना ।

जिला प्रशासन	प्रभावित लोगो को समुचित सहायता की व्यवस्था करना । प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्दों को चलाना । विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था कराना । दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार कराना । आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना । जरूरत पडने पर सेना से सहायता लेना । सभी तहसील, पंचायत समिति स्तर पर राहत टोलियां नियंत्रण कक्षो की स्थापना व निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करना ।
पुलिस विभाग	राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं । आतंकवादी हमले, सिराही अनरेस्ट तथा सडक दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता हैं । इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता हैं । शान्ति व्यवस्था बनाये रखन हेतु पुलिस बल उपलब्ध हैं । विशेष परिस्थितियों में पुलिस बल की आवश्यकता होने पर एम.बी.सी., डी.जी.पी., रिर्जव बल, आ. ए.सी. एवं पडौसी जिलो से पुलिस बल प्राप्त किया जावेगा । आपदा प्रभावित स्थल पर पहूंचकर जन समूह को संभालना/ बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना । खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिये अतिरिक्त संसीओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना । लोगों के जान–माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना । आपदाग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना । बाढ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगो को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों सपर स्थानान्तरित करना ।
नागरिक सुरक्षा बल स्काउट्स एण्ड गाईड तथा एनसीसी	आपदा की सूचना मिलने पर विभाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुटटी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहूंचाने का आदेश देगें । नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फसे लोगो को ढूढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे । कानूनी व्यवस्था में मदद करना । स्वंय सेवकों को आवश्यक उपकरण सहायता व सामग्री की व्यवस्था करना ।
चिकित्सा विभाग	विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना । आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्युटी पर बुलायेंगे । अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम व आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना । आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना तथा डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरन्त प्राथमिक उपचार दिया जा सके । एम्बुलेसों की व्यवस्था करना । अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना । जिले में उपलब्ध मोबाईल यूनिटो को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना । ब्लड बैंको से आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहूंचाने के लिए संपर्क करना । मृतको के निस्तारण हेतु नगर परिषद/पालिका/निगम की मदद लेना ।

सिंचाई विभाग	आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्युटी पर बुलायेंगे । आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाडियों का तुरन्त इन्तजाम करना । विभागाध्यक्ष द्वारा ठेकेदारों से संपर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना । आपदा के दौरान टूटे सडक मार्ग की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके । आवश्यकतानुसार आपदा क्षेत्र श्रमिक उपलब्ध कराना । राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना । सभी गैंग हटों पर दो दो ट्रक रेती आवश्यकतानुसार गैती, फावडे, तगारियों आदि तैयार रखना, दो दो हजार खाली कट्टे तैयार रखना ताकि आवश्यकता होने पर उन में रेती भरवाकर राहत स्थल तक भिजवाया जा सके । आपदा के दौरान टूटी सड़कों पुलियों पर चेतावनी सूचक बोर्ड लगवाना । आपदा प्रभावित जनता को राहत शिविरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेजयल उपलब्ध कराना । जलाश्यों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना । टूटी हुई पाईप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना । प्रभावित क्षेत्रों में हैण्डपम्प की मरम्मत तथा नये हैण्डपम्प खोदना । पेयजल प्रदूषित होने से रोकना, आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग कार्य । जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना । पशुओं के पेयजल स्थलों पर पानी के शुद्धिकरण एवं मरम्मत व्यवस्था करना । आवश्यकता पडने पर विशेष राहत दस्तों, गोताखोरों, ड्रिलिंग पम्प, केन एवं जनरेटरर्स आदि की व्यवस्था । पेयजल के वैकल्पिक स्त्रोतों का चिन्हिकरण । कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विशेष निर्देश जारी करना ।
विधुत वितरण निगम	प्रथम, द्वितिय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना। वर्षा से पूर्व सभी विद्युत प्रवाह लाईनों की जांच करना तथा लाईनों को छूते हुये वृक्षों की छंटाई करना ।
	कट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विशेष निर्देश जारी करना । बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में इलेक्ट्रोक्युषण रोकने हेतु उपाय करना । रेस्टोरेशन । आग लगने पर प्रभावित स्थानों का तुरन्त विद्युत विच्देद करना । भूकम्पः भूकम्प आने पर विद्युत विच्देद, राहत शिविरों में प्रकाश व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा भूकम्प प्रभावित विद्युत लाइनों का रेस्टोरेशन करना । ओलावृष्टि : ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि के दौरान प्रभावित लाइनों का रेस्टोरेशन कर विद्युत प्रदाय तंत्र को तुरन्त सुचारू करना । आंधी व तुफान के समय विद्युत संचार विच्छेद करना तथा आंधी तुफान के बाद विद्युत व्यवस्था रेस्टोरेशन करना । लू–तापघात के दौरान बिजली की निरन्तर सप्लाई बनाए रखना । कुऑ ढहने की घटना होने पर रेस्टोनेशन कार्य तथा प्रकाश की व्यवस्था करना ।
दूरसंचार विभाग	आपदा काल में क्षतिग्रस्त संचार व्यवस्था को शीघ्र दुरस्त करवाना । महत्वपूर्ण दूरभाष लाईनों को बनाये रखना । प्रभावित स्थलों पर विभागीय राहत दलों की तैनाती सुनिश्चित करना । अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना । आवश्यकता होने पर मोबाईल दस्तों का गठन करना । आपदाओं की पूर्व तैयारी रखना । जनता तक सही सूचना संप्रेषण को सुनिश्चित करना । टूटी हुई संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना । कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विशेष निर्देश जारी करना ।
पशुपालन विभाग	मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना । महाहमारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा

	सफाई की व्यवस्था करना । आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाऐं प्रदान करना । (अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन वाहन आदि) वर्षा काल आरम्भ होने से पूर्व बडे नालों की सफाई करवाना, मृत पशुओं को हटवाना तथा शहरी क्षेत्र में पानी एकत्रित होने वाले स्थानों को चिन्हित करना स्वाभाविक बहाव वाले क्षेत्रों में किये गये अतिक्रमणों को हटवाना । कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विशेष निर्देश जारी करना ।
परिवहन विभाग	आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना ।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व केरोसीन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना । निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना ।
स्वंय सेवी संगठन एवं जन स्वंयभागिता	आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना ।

अध्याय–05
Prevention and Mitigation

रोकथाम व शमन उपाय

सिरोही जिले में गठित होने वाली प्रमुख प्राकृतिक व मानवकृत आपदाओं में दावानल (अग्नि), बाढ, सूखा, सड़क दुर्घटना, महामारी प्रमुख हैं । आपदा की रोकथाम के लिये समय रहते कार्यवाही करके सम्भावित प्रतिकुल प्रभाव से बचा जा सकता हैं । मानवकृत आपदाओं की तरह प्राकृतिक आपदाओं को टाला नही जा सकता । लेकिन जोखिम भरे क्षेत्रों में विकास कार्यो की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों और जोखिम आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता हैं । उसी प्रकार शमन एक ऐसा कार्य हैं, के तहत ढाचागत उपायों के द्वारा जोखिम भरे क्षेत्रों के नुकसान को व्यवस्थित योजनाओं के माध्यम से कम किया जा सकता है ।

प्राकृतिक एवं मानव–कृत आपदाओं में कारगर प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त उपायों में रोकथाम शमन संबंधी पहलू भी शामिल होने चाहियें जैसे पूर्व **चेतावनी प्रणाणी** राज्य में संभावित विभिन्न आपदाओं के प्रबन्धन में नोडल डिपार्टमेट्स को शामिल करना भी जरूरी हैं ।

रोकथाम संबंधी कार्यो में आपदाओं से होने वाले जोखिमों के स्तर की पहचान और निर्धारण करना और उससे जान माल पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये कार्यवाही करना शामिल हैं । यह काम कानून बनाकर उन्हें लागू करके किया जा सकता हैं ।

जोखिम मूल्यांकन:–

जोखिम मूल्यांकन एक ऐसी प्रकिया हैं जिससे संभावित जोखिम की प्रकृति और उसके विस्तार का निर्धारित किया जाता हैं । यह कार्य संभावित आपदाओं और वर्तमान सभेद्यता स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता हैं आपदा और सुभेद्यता स्थिति मिलकर जान–माल, रोटी–रोजी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं ।

आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरूरी हैं कि सभी विभाग, एजेन्सिया, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन अधिकारी सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का जोंखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करायें । हैजर्ड जोनेशन मैपिंग और जीआईएस एवं रिमोट सेसिंग डेटा पर आधारित सुभेद्यता विश्लेषण एक अनिवार्य जांच घटक होना चाहिये । सभी रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रति, उन्मुख जिलों के लिए एक हैजर्ड एण्ड कॉन्सिक्वेन्श मैपिंग ऑन जीआईसी प्लेटफार्म्स तैयार किया जाना चाहिए ।

तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था:–

आपदाओं के विपरित प्रभावों को कम करने के लिये एक अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी हैं । इसके लिये कारगर नीतियों और कानूनों का बनाया जाना तथा राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों एवं ऐजेन्सियों द्वारा उनको लागू किया जाना भी आवश्यक हैं । आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में रास्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वय प्रकियाओं का प्रावधान किया गया हैं ।

सुरक्षित निर्माण

भूकम्प जैसी आपदाऐं गलत तरीके से डिजाईन और कमजोर इमारते लोगों की मौत का कारण बनती हैं । नई इमारतों में सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतो में रीट्राफिटिंग को वरियता दी जायेगी । प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के डिजाइन और विशेषताओं को आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से जांचा जायेगा । इंजीनियर्स, आर्किटैक्टस, ठेकेदारों और राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षणा कार्यकम आयोजित किये जायेगें । प्रमुख इमारतो यथा विद्यालय, अस्पताल इत्यादि की भूकम्परोधी बनाया जायेगा एवं उनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण लगागये जायेगें ।

आपदा	उपाय
बाढ	1. बाढ की तीव्रता कम करने हेतु भू–संरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबन्धन और चैकडेम के निर्माण कार्यो को बढावा एवं पुलियों अन्य इंफास्ट्रक्चर के लिये निरंतर कार्य करना । 2. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समय से चेतावनी देने के लिये स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करना । 3. बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में जान–माल नुकसान कम करने के लिये संबंधित कानूनों की जानकारी प्रदान करना । 4. जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी सर्वे अध्ययन । 5. बाढग्रस्त इलाकों में भवन निर्माण कार्यो में बाढ़ नियमावली की अनुपालना सुनिश्चित करना । 6. आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संम्भाव्य आश्रय स्थल यथा स्कूल, सामुदायिक भवन आदि का चिन्हीकरण ।
दावानल	1. वर्नो में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का माइको–जोनेशन । 2. पूर्व चेतावनी एवं निगरानी हेतु रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग । 3. आधारभूत संरचनाओं का अद्यततीकरण एवं नवीनीकृत आग प्रतिरोधक तकनीको का प्रयोग । 4. समुदाय के लिये आग से निपटने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन
	5. महत्वपूर्ण भवनों यथा सरकारी ईमारत, विधालय, अस्पताल, उद्योग, गोदाम इत्यादि में निकासी मार्गो की सुनिश्चिता । 6. समय–समय पर मॉक अभ्यासों का आयोजन
सूखा	1. सतही एवं भू–जल का संयुक्त प्रयोग 2. कुओं, तालाबों,बावडीयों आदि का जीर्णोद्वार 3. फसल एवं पशु बीमा को प्रोत्साहित करना ।
महामारी	1. लक्षित टीकाकरण अभियान 2. कुओं ट्युबवेलों, बावडियों आदि का जीर्णोद्वार 3. सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाईजीन घरेलु जल उपचार ओआरएस के प्रयोग, अन्य निरोधक दवाईयों के बारे में जानकारीका प्रसार–प्रसार 4. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों का आयोजन
आतंकवाद	1. इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिट मीडिया के माध्यम से जानकारी 2. सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं व होटलों में सीसीटीवी एवं एक्सेस कंट्रोल रूम की व्यवस्था 3. सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश व्यवस्था का निर्माण 4. गुप्त सूचना तंत्र का विकास 5. विभिन्न ऐजन्सियों द्वारा प्रस्तुत आंकडों के इन्टेलिजेंन्स विश्लेषण हेतु आधुनिकरण तकनीक का प्रयोग । 6. प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबन्ध । 7. मडिया, संचार व सूचना तकनीक एवं सोशल नेटवर्क का प्रयोग ।
सडक दुर्घटनाए	1. संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्डो, स्पीड ब्रेकर्स, गार्ड स्टोन्स का प्रयोग । 2. उच्च जोखिम क्षेत्रों में मार्गो का विस्तरीकरण, समतलीकरण एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य । 3. वाहन पंजीकरण एवं लाईसेंस जारी करने में मानकों का सख्ती से प्रयोग । 4. राजमार्गो पर सुरक्षा नियमों की कडाई से पालना हेतु पेट्रोलिंग आदि का प्रयोग ।
भूकम्प	1. आम जनता को जागरूक करना तथा मीडियों के माध्यम से करों ओर करों की जानकारी देना 2. रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना । 3. समय–समय पर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना । 4. शहरी/ग्रामीण इलाकों में भवनों के निर्माण कार्य में भूकम्प नियमावली की अनुपालना सुनिश्चित करना ।
औद्योगिक/ रासायनिक	1. औद्योगिक इकाइयों, शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी इमारतों की जोखिम सुरक्षा का विश्लेषण विभिन्न मानको के प्रयोग से करना । 2. खतरनाक औद्योगिक इकाइयों के आस–पास बसावट प्रतिबंधित करना । 3. पर्यावरण पर औद्योगिक दुष्प्रभाव कम करने हेतु आस–पास हरित पट्टी क्षेत्रों के रूप में विकास ।

विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के आपदानुसार शमन उपाय

आपदा/संबंद्ध विभाग	ढांचागत उपाय	गैर ढांचागत उपाय
बाढ (संबंद्ध ऐजेन्सियाः जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानिय निकाय, वन विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग ।	1. जलाश्यों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुये अतिक्रमण को मानसून के आने पहले हटाना । 2. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत । 3. सुरक्षित आश्रय परों का निर्माण 4. बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान जलनिकासी तंत्र में क्षमतावर्धन एवं नये नालो का निर्माण ।	1. बाढ की भविष्यवाणी और चेतावनी तंत्र सुदढीकरण । 2. शहरी और गांवों में बाढ़ शमन के लिये निर्माण कार्यो की विभिन्न योजनाओं में समन्वय 3. मानव–जीवन, पशुधन एवं सम्पत्ति बीमा स्कीमे करवाने के लिए लोगो को प्रोत्साहित करना । 4. स्वंय सेवको एवं तकनीकी व्यक्तियों का क्षमता वर्धन । 5. पशुधन सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम । 6. प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं सहित प्रशिक्षित मेडिकल प्राथमिक कार्यकर्ताओं को तैयार करना ।
आग (संबंद्ध एजेन्सियोंः जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, अग्निशमन केन्द्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनटीपीसी अग्निशमन केन्द्र)	1. शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों की सख्ती से अनुपालना । 2. अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का आंकलन, खरीद एवं अवास्थिति ।	1. समुदाय के लोगों को आग से निपटने/बचाव के तरीकों के बारे में निरंतर प्रशिक्षण । 2. समय–समय पर विभिन्न स्थानों पर वर्ष भर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना एवं उसमें आम भागीदारी । 3. प्रमुख भवनों जैसेः– हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से अग्नि आपदा निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना 4. अग्नि दुर्घटना रोकने के लिये करो और मत करों का विस्तृत प्रचार–प्रसार ।
आग (संबंद्ध एजेन्सियोंः जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, अग्निशमन केन्द्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनटीपीसी अग्निशमन केन्द्र)	1. शहर, कस्बों एवं गांवों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग । 2. सभी इमारतों में भूकम्प सुरक्षा से संबंधित कानूनों का सख्ती से अनुपालना । 3. शहर, कस्बों, व गांवों में भूकम्परोधी निर्माण ।	1. प्रमुख भवनों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक भवनों का सुरक्षा अंकेक्षण करवाया जाना । 2. भूकम्परोधी विशेषज्ञों, राज मिस्त्रीयों इंजीनियर्स का क्षमतावर्धन । 3. सभी विद्यालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक इमारतों में मॉक मॉक अभ्यास । 4. रोगी सुरक्षा आधारित विकास एवं निकासी योजनाएं ।
सूखा (संबंद्ध एजेन्सियोंः जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, कृषि, उद्यान विभाग, पशपालन विभाग, स्थानीय निकाय, भू–संरक्षण विभाग, बैंक)	1. रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्राक्चर्स तैयार करना जेसे कुंए, तालाब, चेक डेम, फार्म पोण्ड इत्यादि 2. मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय । 3. शुष्क कृषि पद्धति को बढावा 4. वनीकरण । 5. लम्बी अवधि की सिंचाई परियोजनाऐं ।	1. वाटरशेड एवं वाटर हारवेस्टिंग तकनीक के बारे में प्रशिक्षण । 2. फसलों बीमा को प्रोत्साहन ।

अध्याय–06

Prepardness Measures तैयारी उपाय

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 2(m) तैयारी को निम्न रूप से परिभाषित करती हैं–

"(m)" Preparedness" means the state of neediness to deal with a threatnening disaster situation or disaste and the effects there of Preparedness is akey link between the pre-impact and post impact phases of a disaster event.

- ⇨ Risk evaluation from past experience
- ⇨ Formulating Emergency response plans
- ⇨ Stockpillng resources necessary for effective response
- ⇨ Communic ations and warning mechanism
- ⇨ Sevelopment of public awareness programme

आपदा प्रबन्धन तैयारी के लिये विभिन्न स्तर पर कार्य योजना

क्या करना है	अधिकारी व सदस्य	कार्य कैसे किया जावे
आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी, नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, अतिरिक्त जिला कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि., जल संसाधन, पीएचडी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेन्स, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओ, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि	पूर्व में घटित विभिन्न आपदाओं का आंकलन, विश्लेषण एवं चर्चा नुकसान एवं सेवेरिटि के प्रभाव का रिकॉर्ड । पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति । आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय ।
परिस्थितियों का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य, डीसीएमसी सदस्य में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबन्धन कमेटी के सदस्य, एनजीओ व जनप्रतिनिधि	संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं ट्रोपोग्राफी का नक्शा बनाना । डेमाग्राफी/मानव के रहन–सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना । हेविटेशन पेटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना । प्राकृतिक सम्पदा को नक्शे पर दर्शाना । सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पती की सूची तैयार करना । सुरक्षित संसाधन/संभावित नुकसान सडक, रेल, हवाई अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना ।
खतरे का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य डीडीएमपी सदस्य व विभिन्न विभागो के अध्यक्ष व कार्मिक उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन कमेटी के सदस्य, एनजीओ व जनप्रतिनिधि ।	पूर्व अनुभव के आधार एवं रिकार्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हिकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हिकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जिविकोपार्जन एवं सम्पति के नुकसान की संभावना ।
संवेदनशीलता का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमपी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबन्धन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधि ।	संवेदनशील जगहों एवं कारकों की अलग–अलग सूचना तैयार कर नक्शा तैयार

संसाधन:– आपदा प्रबन्धन की तैयारी के लिये सबसे पहले संसाधनों की आवश्यकता होगी । जिला आपदा प्रबन्धन के पास आपदा प्रबन्धन के लिए अपेक्षित सरकारी–गैर सरकारी संसाधनों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया गया हैं । इसमें मानव संसाधन सामग्री सम्मिलित हैं जिसकी सूची इन्वेंट्री के रूप में इस प्लान के संलग्न हैं ।

- यहॉ यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आपदा की स्थिति में संसाधनों को व्ळप्डन्ड नितान्त आवश्यक) प्रयोग हो तथा आपदा समाप्ति पर तुरन्त सामान्य स्थिति क्ब्ळडैप्ब्छप्छळ बहाल किया जावें ।

- यहॉ यह भी उल्लेखित किया जाना उचित हैं कि यह सूची निरन्तर और सतत् रूप से अपडेट की जाती रहेगी ।

समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन:–

- आपदा जैसी परिस्थितियों का सामना कोई एक संस्था/व्यक्ति नही कर सकता । जिला आपदा प्रबन्धन अभिकरण का प्रयास होगा कि आपदा प्रबन्धन की प्रत्येक अवस्था में समुदाय का सहयोग लिया जावें । उसे आपदा प्रबन्धन की तैयारियों के सम्बन्ध में विश्वास में लिया जावें तथा उनसे अपेक्षित सहयोग व सहायता के लिये प्रेरित किया जावें । इस कम में सिरोही में कार्यरत लायन्स क्लब/लियो क्लब, अध्यक्ष भारतीय रेडकास की जिला ईकाई निजी चिकित्सालय हैं ।

- राजकीय महाविद्यालय सिरोही की ईकाई जिनके अधिकारी निम्न को आपदा प्रबन्धन से जोडा जाना प्रस्तावित हैं ।

आपदा किट तैयार करना:–

जनसमुदाय को संभावित आपदा के समय तदनुरूप किट तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा । इस आपदा किट में निम्न सामग्री होगी– पर्याप्त जल, सूखा भोजन, फ्लेश लाईट (बेटरी सहित) रेडियो (चेतावनी हेतु) प्राथमिक उपचार किट आवश्यक दवाईयॉ (बुखार, दस्त, पेट दर्द) मल्टीपरपज टूलबाक्स सैनीटेशन आईटम व्यक्तिगत दस्तावेजो की प्रति (पहचान पत्र की प्रति)घर, कार, इत्यादि की चाबियॉ मोबाईल फोन विथ एक्स्ट्रा बेट्री, अतिरिक्त धन परिवार के फोन नम्बर कम्बल क्षेत्र का मानचित्र प्लास्टिक शीट्स उक्त आपदा किट में आपदा अनुसार या क्षेत्र विशेष अनुसार सामग्री कम या अधिक हो सकती हैं ।

अध्याय–07

Capacity Building क्षमता वर्धन

किसी भी आपदा प्रबन्धन की तैयारी के लिये क्षमता इनपसकपदह वर्धन एक प्रमुख अवयव हैं जिसमें जानकारी प्रसार प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध एवं विकास के माध्यम से मानव संसाधनों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता हैं । आपदा प्रबन्धन में बहुत सारे कार्य आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से योजना, रोजमर्रा के प्रबन्धन,कियाकलाप, बहुआपदा ऑपरेशन काईसिस मेनेजमेन्ट, समुत्थान और विशेष कार्य शामिल हैं । इसलिये संस्थागत विशेषज्ञता और क्षमता बढाने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षण ओरिएन्टेशन प्रोग्राम की जरूरत होती हैं ।

क्षमता निर्माण से तात्पर्य हैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं व अभिवृद्वि से हैं जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती हैं । आपदा प्रबन्धन में क्षमता संवर्धन की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं । आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचाव कार्यमें प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिकिया कर सकता हैं ।

क्षमता संवर्धन Capacity Building

- **प्रशिक्षण**
- **मॉकड्रील्स एवं अनुरूपण अभ्यास**
- **पाठ्यकम में आपदा का समावेश**
- **जनजागृति, समुदाय आधारित कार्यकम**
- **उपकरणों की सुगमता**

किसी भी आपदा प्रबन्धन की तैयारी के लिए क्षमता वर्धन एक महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपदा प्रबन्धन को क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का संस्थागत रूप प्रदान करता हैं ।

क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का संस्थागत रूप		
राष्ट्रीय स्तरीय	**राज्य स्तरीय**	**जिला स्तरीय**
• राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण • विश्व बैंक, नाबार्ड, यूनिसेफ • राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण तकनीकी संस्थान व वि.वि. एनसीसी,एनएसएस, स्काउट • एनजीओं	• एडमिस्ट्रेटीव ट्रेनिंग • स्टेट सेन्टर फॉर डिजास्टर मेनेजमेंट • राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान व वि.वि. • एनजीओ, एनसीसी, स्काउट	•जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों कोर ग्रुप तैयार करेगा । कोर ग्रुप जिला स्तर पर आपदा क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यकम का संचालन कर प्रशिक्षण प्रदान करवायेगे । • स्तर पर कोर ग्रुप का पेनल का गठन । • जिला स्तरीय तकनीकी व प्रबन्धन संस्थान । • महाविधालय/विधालय • ईकाई एनसीसी व स्काउट

प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकनः–

आपदा प्रबन्धन विभागों जैसे पुलिस विभाग, अग्निशमन, स्वास्थ्य, वन आदि के कुछ कर्मचारियों का चयन करेगी, जिससे प्रशिक्षकों का एक कोर ग्रुप किया जा सके ।

जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर प्रशिक्षणः–

मास्टर ट्रेनर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न सहभागियों को प्रशिक्षित करेगें । जिन सहभागियों को प्रशिक्षित किया जायेगा । उनमें एनजीओंज, समाजसेवक, युवा संगठन, नेशनल कैडेट कौर्स, नेशनल सर्विस स्कीम, स्काउट गाईड्स, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, स्कूल अध्यापक व छात्र शामिल होगें ।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेन्ट ऑथोरिटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप त्वरित अनुकिया तंत्र को सटीक बनाने के लिये प्रशिक्षण देना ।

अन्य विशेष प्रशिक्षणः–

- जन प्रतिनिधियों का एक दिवसीय ओरियन्टेशन प्रोग्राम ।
- पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेंस चालकों, दवा विक्रेताओं को महामारी,

  रासायनिक आपदाओं, एन्टीडोज, मॉस कैंजुिअल्टी, मानसीक उपचार जैसे विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा कर प्रशिक्षित किया जावेगा ।
- मीडियॉकर्मियों को आपदा प्रबन्धन में मीडिया की भूमिका विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण

  कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा ।
- विधालयों–महाविधालयों में विद्यार्थियों को बचाव, जोखिम, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, स्वंय बचाव, आदि पर समय–समय पर प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा ।

मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यासः–

प्रशिक्षण के साथ–साथ यह भी महत्वपूर्ण हैं कि मॉक ड्रिल्स और अनुरूपण के माध्यम से आपदा तैयारी के स्तर का परीक्षण किया जाए ।

सभी विधालयों, अस्पतालों, प्रमुख सरकारी इमारतो, सिनेमाघरों, स्पोर्टस क्लबों/मैदानों और बडे कॉरपोरेट हाउसेज में आपदा प्रबन्धन विशेषज्ञों द्वारा मॉक ड्रिल्स किये जायेंगे जिससे यह पता चल सके कि सुरक्षा प्रणाली में क्या खामियॉ हैं । इसका एक उद्देश्य इन संस्थाओं का क्षमतावर्धन भी हैं, जिससे जान–माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके । इन मॉक ड्रिल्स में पुलिस कर्मी, अग्निशमन कमर्चारी, चिकित्सा दल, पैरामेडिक्स, बचाव दल और विशेष रिपॉन्स दल (बाम्ब डिसपोजल स्क्वैड, एटीएस) भाग लेंगे । सभी सार्वजनिक स्थल, परिवहन केन्द्र,औद्योगिक इकाईयॉ और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान मॉक ड्रिल्स और अनुरूप अभ्यास के लिए उचित स्थान हैं । निजी कंपनिया एवं औद्योगिक इकाइया भी अपनी अपनी ऑन–साईट एवं ऑफ साईट आपदा प्रबन्धन योजनाऐं तैयार करेगी ।

जिला पुलिस विभाग, होमगार्डस, सिविल डिफेंन्स कर्मी, अग्निशमन कर्मचारी, एसआरटीज, आदि समय–समय पर विभिन्न आपदाओं के लिए मॉक ड्रिल्स आयोजित करेंगे इस काम में **जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्तर पर रिलीफ कमिश्नर सहयोग देंगे** । अग्निकाण्ड और भूकम्प के लिए साल में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल्स आयोजित करना अनिवार्य हैं ।

मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाये व संसाधन:-

मॉक ड्रिल्स एक अनुरूपण अभ्यास हैं जो आपदा के पूर्व तैयारी का जायजा लेने तथा कमियों को समझने में सहायक होता हैं । DDMP में वर्णित कार्य योजना अनुरूप सभी प्रशासनिक स्तरों व विभागों को तैयार करने हेतु जिला स्तर पर मॉक ड्रिल हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्रभारी नोडल अधिकारी होगा । जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार मॉक ड्रिल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा । क्षेत्रवार तथा प्रशासनिक इकाई बार-बार आने वाली तथा सम्भावित प्राकृतिक आपदाओं हेतु गहन मॉकड्रिल अभ्यास में लाया जायेगा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाइयों के मॉकड्रिल हेतु उनके कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे ।

आपदा संबंधित उपकरणों की उपलब्धता :-

आपदा आने की शुरूआती अवस्था में लोगों की जाने बचाने में कारगार रिसपॉन्स प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता हैं । इसके अलावा, रिपॉन्डर्स का ज्ञान एवं निपुणता और तलाश एवं बचाव ऑपरेशन की प्रभावशीलता जरूरी उपकरणों का उपलब्धता पर निर्भर करती हैं । इन जरूरी उपकरणों की पहचान करने, रिसपॉन्डर्स द्वारा इन उपकरणों का सही समय पर प्रयोग रिसपॉन्स ऑपरेशन के लिये बडा निर्णायक होता हैं। इसलिये इन उपकरणों का पूर्ण संग्रहण और इन तक आसान पहूंच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

ये उपकरण फर्स्ड रिसपॉन्डर्स जैसे- अग्नि शमन सेवा, पुलिस, सिविल डिफेंस, स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स, चिकित्सा दल आदि को उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराये जाने चाहिये ।

किसी भी आपदा प्रबन्धन की आपातकालिन डैडलिंग विशेष मशीनरी और उपकरणों पर निर्भर करती हैं । इसलिये आपदा प्रबन्धन के सफल अभियान आधुनिक उपकरणों और आपदा उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते हैं । इन उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए एक विशेष प्रशिक्षण डिजाइन किया जायेगा और इन उपकरणों के संचालकों को उनका प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

जिला प्रशासन के पास उपलब्ध उपकरणों की सूची

क.सं	उपकरणो का नाम
1	Hand Tool set (with contents) a. Bolt Cuter 12" & 30" b. Chisel for concrte ½" & (Tab aria or Eqvt) c. Screw driver set (tab aria) complet set d. Hack saw 12" tubular with spre blades e. Claw hammer 4 Kg. f. Crescent worench 8"
2	Life Jacket
3	Aluminum Extn ladder 25" folding
4	Emergency Light (ड्रेगन लाईट) (TDR and SDO) नियंत्रण कक्ष , कलक्टर कार्यालय, सिरोही
5	Mega phone (SDO)
6	Face Mask
7	Spade
8	Picks
9	Stretcher
10	Blanket red
11	BOB Roap 20Kg
12	Fiber Ropes 1½"
13	Tents Canvas
14	First aid box with contents Bite stice Flexi Splints Various Sizes Bandages Various Types Masks, Gloves, Sponges, Scissors
15	Safety Helmets
16	Rubber Tubes 4 febocy
17	Pullies Single Sheave
	Double Sheave
18	Gum Boot
19	Hand Gloves Rubber
20	Heavy Chain with lock bullies
21	Safety Gloves
22	Torchor Emergency light (Solar Enabled)
23	Mtrs 10/11 mm BOB Nylon rope
24	ORS & Rowlocks
25	Galvanized metal bucket or baller
26	DCP File Extinguisher
27	Emergency spot light with minimum 10 hour run time
28	Tool Kit
29	AXE/Hatchet 3kg
30	Fiberglass blackboard Stretcher
31	Radio Walky Set 5 watt
32	Blankets
33	Park Pickets
34	First Aid Kit
35	Twin Pronged Graphed/Cat Hooks
36	Throw Bag
37	Gum Boots
38	Safety Goggles
39	Safety Helmet (Water Rafting)
40	GPS Sets
41	Navigation lights
42	Maps Charts and Compass
43	Chain Saw Machine
44	Camping tont – Water Resistant 10 person
45	Inflatable Rescue Boat

नागरिक सुरक्षा (Civil Defence)

सिरोही नागरिक सुरक्षा जिला हैं । जिसमें वर्तमान में 69 नागरिक सुरक्षा सदस्य उपलब्ध हैं । राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 12 नागरिक सुरक्षा सदस्यो को ड्युटी पर रखने हेतु स्वीकृति जारी की हुई हैं। जिसके अन्तर्गत प्रतिमाह 04–04 नागरिक सुरक्षा सदस्यों को तीन पारियों में राउण्ड–दी–क्लॉक रोस्टर्श अनुसार मय उपकरण वाहन के नियुक्त किया जाता हैं ।

जिला सिरोही में आपदा की स्थिति में स्वयं सेवको की स्थिति :–

क.स.	मित्र	संख्या	वि.वि.
1	आपदा मित्र	300 जिला	एसडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित
2.	पुलिस मित्र	363	
3.	सी.एल.जी. सदस्य	1246	
4.	ग्राम रक्षक	458	
5.	सुरक्षा सखी	227	

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

1. जिला मुख्यालय सिरोही से निम्न स्थानों पर आपदा मोचन बल की तैनाती है

क.स.	स्थान	जाबता	दूरी किमी
1.	अजमेर	एक कम्पनी	285 किमी
2.	गांधीनगर	एक कम्पनी	250 किमी

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)

1. जिला मुख्यालय सिरोही से निम्न स्थानों पर राज्य मोचन बल की तैनाती है

क.स.	स्थान	जाबता
1.	जोधपुर	एक कम्पनी
2.	अजमेर	एक कम्पनी
3	उदयपुर	एक कम्पनी

जिले में की गई Mock Exercises

क.सं.	दिनांक	जिला प्रशासन/उपखण्ड	स्थान	हमले का प्रकार
01	07.05.2025	जिला प्रशासन	मानसरोवर, ब्रहमकुमारी संस्थान आबूरोड	बम गिरना
02	10.05.2025	उपखण्ड अधिकारी सिरोही	स्वामी नारायण मंदिर	बम गिरना
03	10.05.2025	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	जैन मंदिर जीरावल	एयर स्ट्राईक
04	10.05.2025	उपखण्ड अधिकारी,पिण्डवाडा	रेल्वे स्टेशन पिण्डवाडा	एयर स्ट्राईक से बम गिरना
05	10.05.2025	उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	सुमेरपुर शिवगंज के बिल जवाई पूल पर	बम गिराया गया
06	10.05.2025	उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड	इण्डियन ऑयल कॉ0लि0 पेट्रोलपम्प, अम्बाजी रोड	एयर स्ट्राईक
07	09.05.2025	उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत	पीआरएल ईसरॉ	बम गिरा
08	10.05.2025		देलवाडा जैन मंदिर	हमला
09	10.05.2025		सौफिया स्कूल	आगजनी
10	10.02.2025		बीएआरसी	बम गिरा
11	11.05.2025		आकाशवाणी	हमला
12	31.05.2025	जिला प्रशासन सिरोही	मेडिकल कॉलेज	एयर स्ट्राईक

(01) (बांध लिकेज)

जिला सिरोही में मानसून वर्ष 2023 को दृष्टिगत रखते हुये आपदाओं एवं क्षमता संवर्धन हेतु डवबा म्मामतबपेमे का पूर्वाभ्यास एवं पुनरावलोकन (मॉक ड्रील का आयोजन) दिनांक 11.07.2023 को जिले के रेवदर तहसील के सुकली सेलवाडा बांध पर प्रातः 9.30 बजें (ब्लॉक स्तर पर) किया गया । **बांध राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 उदयपुर से पालनपुर रोड पर स्थित हैं तथा जिला मुख्यालय से दूरी 40 किमी तथा उपखण्ड मुख्यालय से 20 किमी दूरी पर स्थित हैं** । मॉक ड्रील के दौरान दी गई सूचना एवं संबंधित विभागों द्वारा घटना स्थल पर पहूंचने का विवरण निम्नानुसार हैः-

सूचनाः- निर्धारित समय पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, सिरोही को सूचना दी कि " सुकली सेलवाडा बांध की पाल में लिकेज हो गया हैं तथा बहुत ज्यादा पानी लिकेज हो रहा हैं, जिससे नीचे स्थित गांव को खतरा हो सकता है । तत्काल श्रीमान् जिला कलक्टर, संबंधित प्रशासनिक एवं समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचित करावें । उक्त सूचना पर जिला नियंत्रण कक्ष, सिरोही के माध्यम से अविलम्ब संबंधित अधिकारियों/विभागों को जरिये टेलिफोन से सूचित किया गया ।

1- **जल संसाधन विभागः-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित सभी अभियन्ताओं को मय स्टाफ खाली सीमेन्ट के कट्टै, तगारे, फावडे, गैती, रस्से, टॉर्च, बल्ली के साथ मजदूरों को लेकर बांध पर पहूंचने के निर्देश दिये गये । बांध स्थल पर आस पास से जेसीबी एवं ट्रेक्टर की व्यवस्था की जाकर लिकेज को बन्द करने की कार्यवाही की गई ।

2- **पुलिस विभागः-** सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थानों को वायरलैस के माध्यम से सूचना दी जाकर मय जाब्ता, रस्सा, टॉर्च के साथ उप पुलिस अधीक्षक, रेवदर मौके पर उपस्थित हुये । बांध के निचे स्थित गांवों के बीट प्रभारी को अलर्ट किया तथा तत्काल गांव की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये ।

3- **राजस्व विभागः-** तहसीलदार रेवदर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पटवारी को तत्काल संबंधित ग्राम एवं घटना स्थल पर पहूंचने के निर्देश दिये । तहसीलदार रेवदर द्वारा अवगत कराया कि निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को अलर्ट किया तहसील कन्ट्रोल रूम से सभी संबंधितों को सूचित किया एवं ग्राम पंचायत सचिव को संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिये ।

5– **चिकित्सा विभाग**:–ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रेवदर मय स्टाफ एम्बुलैस सहित पर्याप्त दवाईयों एवं उपकरणों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे ।

6– **नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक टीम सिरोही**– सिरोही के ग्राम जावाल में नदी में दो बच्चो के डूबने की सूचना प्राप्त होने पर रेस्क्यू हेतु सिरोही मुख्यालय से जावाल ग्राम रवाना किया गया ।

7– **एसडीआरएफ टीम** – सिरोही के ग्राम जावाल में नदी में दो बच्चो के डूबने की सूचना प्राप्त होने पर रेस्क्यू हेतु सिरोही मुख्यालय से जावाल ग्राम रवाना किया गया ।

(02) (भूकम्प)

➢ गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 06–बटालियन रास्ट्रीय आपदा मोचन बल, वडोदरा, गुजरात एवं जिला प्रशासन सिरोही के द्वारा दिनांक 28.12.2023 को प्रातः 11.20 बजें जिले में भूकम्प (Earthqua21ke) आपदा के विषय पर मॉक अभ्यास जिला मेडीकल कॉलेज सिरोही में किया गया ।

➢ **सूचना**:–निर्धारित समय पर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, सिरोही को सूचना दी कि " भुकम्प के झटके लगने से मेडीकल कॉलेज सिरोही में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 06–07 व्यक्ति मलबे मे दब गये एवं घायल हैं । उक्त सूचना जिला नियंत्रण कक्ष, सिरोही के द्वारा अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सिरोही को दी गई । अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सिरोही के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को इन्सीडेन्ट कमाण्डर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज को कम्युनिकेशन अधिकारी नियुक्त किया गया । इन्सीडेन्ट कमाण्डर एवं कम्युनिकेशन अधिकारी द्वारा घटना स्थल पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न करते हुये जिला नियंत्रण कक्ष को पुलिस विभाग एवं एन.डी.आर.एफ.टीम/ नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक टीम तथा समस्त संबंधित अधिकारियों को जरिये टेलिफोन/मोबाईल से सूचित करने के निर्देश दिये गये । जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा सभी बचाव दल एवं संबंधित अधिकारियों को जरिये दूरभाष सूचित किया गया । । पुलिस विभाग/ बचाव दल एवं सभी संबंधित अधिकारी आधे घन्टे के भीतर उपकरणो सहित धटना स्थल पर पहूंच गये ।

➢ **कार्यवाही** :– घटना स्थल को पुलिस विभाग/नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक/होमगार्डस द्वारा अपने कब्जे में लेकर बचाव राहत कार्य शुरू किये गये । सा0 नि0वि0 सिरोही द्वारा घटना स्थल पर मय टीम उपकरण यथा– जेसीबी, ब्रेकर, जनरेटर व अन्य सामान लेकर घटना स्थल पर पहुंचे एवं राहत कार्य शुरू किया गया । विधुत विभाग द्वारा तत्काल घटना स्थल की बिजली काटी गई । एन.डी.आर. एफ टीम एवं नागरिक सुरक्षा टीम बचाव दल द्वारा मलबे में दबे हुये घायलों को मलबे से बाहर निकाल कर एन.डी.आर.एफ. के चिकित्सा कैम्प में जिले के चिकित्सक द्वारा जांच एवं प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल हेतु जरिये एम्बुलेन्स कोरीडोर के माध्यम से पहूंचाया गया । कुछ लोग बिल्डिंग में फसे होने की जानकारी मिलने पर एन.डी.आर.एफ. की रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ता रोप तकनीकी का इस्तेमाल कर बिल्डिग से सुरक्षित निकाला गया ।

अध्याय–08

Response and Relife Measures

राहत एवं प्रत्याकमण

अभिप्राय व आवश्यकता:–

सभी आपदाऐं, आकस्मिक घटनाएं एवं संकटकालीन घटनाए अत्यंत गतिशील होती हैं और अफरातफरी फैलाने वाली होती हैं। जिससे भारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक विकास भी पैदा हो जाते हैं। राहत एवं प्रत्याक्रमण वे उपाय हैं जो आपदा से पूर्व तथा आपदाकाल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पत्ति को सुरक्षित बचाना, आपदा, आपदा द्वारा किए गए नुकसान से निपटना शामिल हैं।

राहत व प्रत्याक्रमण सामान्यतः अत्यन्त विघटकारी तथा विशम परिस्थितियो में चलाये जाते हैं। अक्सर उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता हैं। इन अभियानों के लिए बडी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती हैं, अतः ठोस योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रत्याक्रमण टीम के बिना इन अभियानों को आ ातीत सफलता नहीं मिल पाती। आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम को उतना ही कम किया जा सकता हैं।

Response and Relief Measure

Before Disaster	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
During Disaster	प्रथम प्रत्याक्रमण–राहत
After Disaster	राहत–समुत्थान

समयानुसार राहत एवं प्रत्याक्रमण एक गतिक प्रक्रिया हैं। इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता हैं।

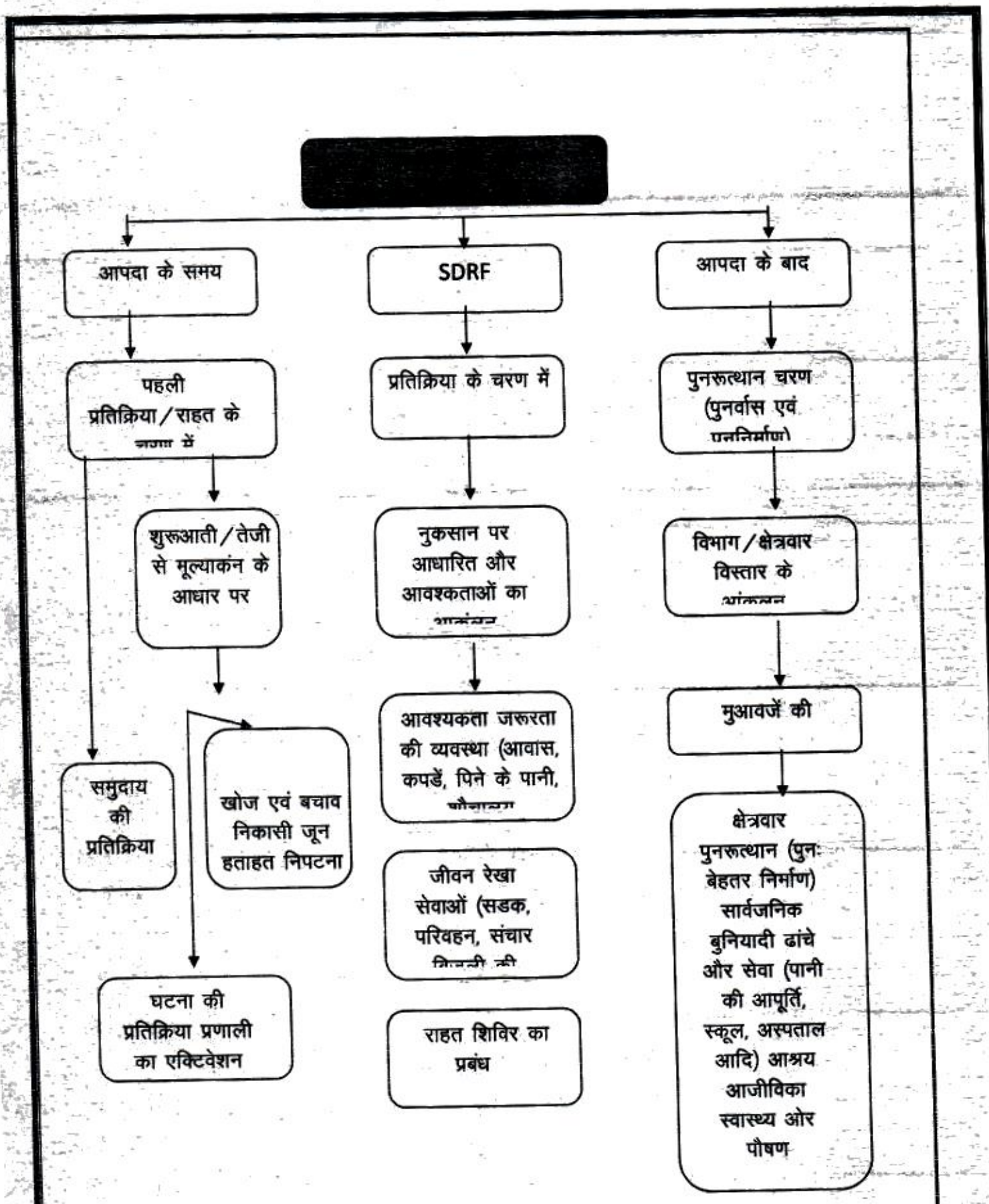
आपदा के समय
SDRF
आपदा के बाद
पहली प्रतिक्रिया/राहत के
प्रतिक्रिया के चरण में
पुनरूत्थान चरण (पुनर्वास एवं
शुरूआती/तेजी से मूल्याकंन के आधार पर
नुकसान पर आधारित और आवश्कताओं का
विभाग/क्षेत्रवार विस्तार के
समुदाय की प्रतिक्रिया
खोज एवं बचाव निकासी जून हताहत निपटना
आवश्यकता जरूरता की व्यवस्था (आवास, कपडें, पिने के पानी,
मुआवजें की
घटना की प्रतिक्रिया प्रणाली का एक्टिवेशन
जीवन रेखा सेवाओं (सडक, परिवहन, संचार
क्षेत्रवार पुनरूत्थान (पुनः बेहतर निर्माण) सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवा (पानी की आपूर्ति, स्कूल, अस्पताल आदि) आश्रय आजीविका स्वास्थ्य ओर पौषण
राहत शिविर का प्रबंध

समुदाय पहले प्रतिकयक (रिसपॉन्डर्स)

किसी भी भाग में जब कोई आपदा आती हैं समुदाय को ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पडती हैं– चाहे वो बाढ़ या भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत आपदा जैसे–आंतकवादी आक्रमण । इससे जाममाल और मानसिक एवं सामाजिक संदर्भ में रूप में भारी नुकसान होता हैं । इस तरह की परिस्थतियों में निश्चित रूप से समुदाय पहले प्रतिकियक के रूप में सामने आते हैं ओर बाहर से राहत पहूंचाने तक अपने लोगों की हर संभव सहायता करते हैं। इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए समुदायों के मजबूतीकरण के लिये समुदाय /आधारित उपाय आपदा पूर्व प्रकिया के रूप में लागू करना जरूरी हैं जैसे आपदा जोखिम कम करने के लिये आपदा तैयारी । सामान्यतः आपदा स्थल तक बाहर से सहायता पहूंचने में 12 से 48 घंटे लग जाते हैं । इसलिये इस संकट की घडी में समुदाय द्वारा जल्द कार्यवाही करना अति महत्वपूर्ण हैं । जिससे जानमाल का कम से कम नुकसान हो और समुत्थान प्रकिया तेजी से शुरू की जा सके ।

किसी आपदा या संकट स्थिति के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्स एवं राहत उपयों के लिये प्रमुख कारक संसाधन संस्थानों की मुस्तैदी

आपदा या संकट स्थिति के लिये अल्पकालिक सूचना पर भी रिस्पॉन्ड करने के लिये संसाधन संस्थानों (सरकारी एवं गैर सरकारी) की मुस्तैदी रिस्पॉन्स ऑपरेशन के लिये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं । कभी–कभी सिर्फ एक संस्थान की असफलता पूरे रिस्पॉन्स अभियान को गडबडा सकती हैं । हालाकि आपदा प्रबन्धन ऑथोरिटीज को एक बात ध्यान में रखनी चाहियें कि संसाधन संस्थानों के रिस्पॉन्स लीड–टाईम की भिन्नता में समन्वय करने की कोशिश करें ।

रिस्पॉन्स सिस्टम का सकियकरण

तुरन्त एवं कारगर रिस्पॉन्स के लिए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता हैं जो आपदा प्रबन्धन अधिकारियों ओर संसाधन संस्थाओं का सकियकरण कर सके । इसलिये राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एक इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम का गठन किया जायेगा ।

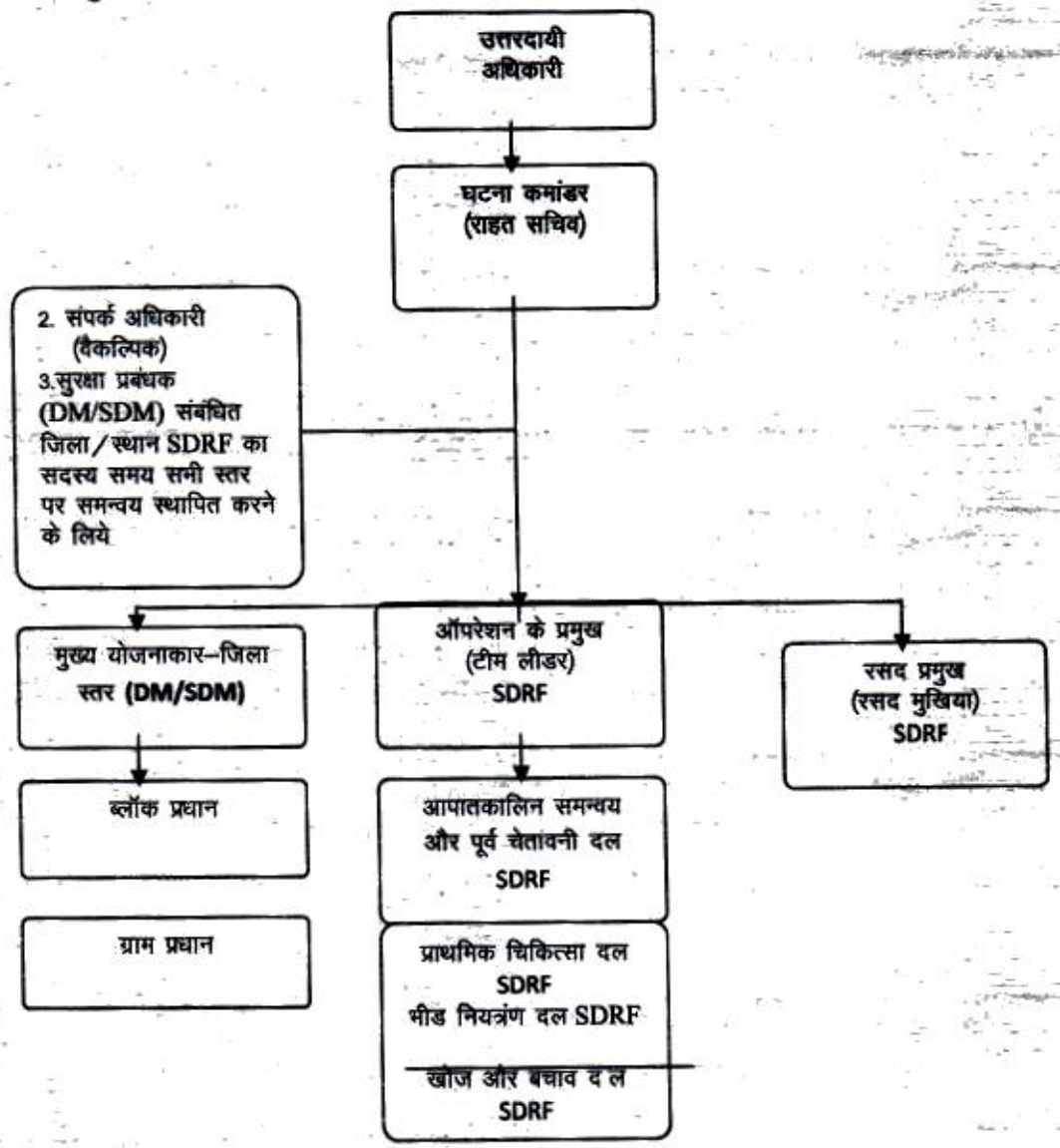

अध्याय–09

Reconstruction, Rehabilitation and Recovery Measures

समुत्थान, पुननिर्माण, पुनर्वास

अभिप्राय व महत्व

समुत्थान पुननिर्माण तथा पुनर्वास आपदा प्रबन्धन का अंतिम चरण हैं । इस अवस्था में आपदा के पश्चात पुनः एक बेहतर संरक्षित एवं ज्यादा समुत्थानशील समाज का निर्माण किया जाता हैं । अतः यह एक व्यापक प्रकिया हैं जिसमें विपत्ति को अवसरों में बदला जा सकता हैं ।

Damage Evaluation नुकसान का आंकलन

जिला कलक्टर आपदा के दौरान सार्व्रजनिक, निजी सम्पति एवं फसल, अन्य महत्वपूर्ण ढांचों के अन्य नुकसान का आंकलन किया जायेगा । DDMP संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिक बचाव एवं पुनर्निवास का कार्य करेंगे । आपदा से हुये नुकसान का आंकलन किया जायेगा । जिनके निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी आंकलन के पश्चात रिपोर्ट कार्यालय में सौपेगी ।

जिला कलक्टर यह निर्धारित करेगा की आपदा का स्तर क्या हैं ताकि किस स्तर पर पुनर्रूत्थान कार्यक्रमों की आवश्यकता हैं । नुकसान के आंकलन के पश्चात यह निर्धारित किया जायेगा कि किस स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता हैं ।

SL.No	Damage	Evaluating Authority
1	Human Lives & injuries	CMHO
2	Loss of animals and livestock	Anmal husbandry & veterinary services
3	Damages to dwelling house, public Buildings	Tahsildar & CEE, PWD.
4	Roads, Dams, Bridges, Culverts, Drainages	CEE-PWD, ZP & Irrigation Dept.
5	Crops	Land & Agriculture Department
6	Power Lines	Electricity Department
7	Communication Lines	BSNL
8	Railway Lines	Railway engg. Dept.

नीति निर्धारण

समुत्थान, पुननिर्माण व पुर्नवास हेतु निर्धारित नीति

पुनर्गठन

जिला कलक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर नोडल विभाग तथा उत्तरदायी अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश प्रदान किये जाएगें । पुर्नस्थापना व पुनर्गठन के कार्यो हेतु अलग–अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करेंगे ।

पुनर्गठन अथवा पुर्नस्थापनपा के अन्तर्गत आवश्यक सेवाऐं सम्मिलित की जाती हैं । इसके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बाटा जा सकता हैं ।

बुनियादी सेवाऐं	अत्यावश्यक सेवाऐं
बुनियादी सेवाओं में जलपूर्ति, सेनिटेशन वेस्ट मेनेजमेंट, सीवरेज आदि आती हैं । इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए । संबंधित विभागों तथा विशेष ऐजेन्सियों व एनजीओं को सहायता से यह कार्य संभव हैं ।	ये सेवाएं जीवन रेखा कही जाती हैं । जैसे विद्युत,संचार, परिवहन आदि । इन सेवाओं की पुर्नस्थापना अतिआवश्यक हैं, क्यों कि राहत तथा प्रत्याकमण इन्ही सुविधाओं पर निर्भार हैं ।

पुननिर्माण तथा मरम्मत कार्य

आपदा के समय आवासीय भवनों तथा प्रशासनिक अन्य भवनों को नुकसान तथा आपदा के पश्चात मरम्मत कार्य व पुननिर्माण कार्य की आवश्यकता होती हैं । आवासीय ढांचों में पुननिर्माण में शहरी व ग्रामीण इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाईन योजना व पुननिर्माण शामिल हैं । इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा । इस विभाग के द्वारा दो प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं । लोंगों की आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं उचित स्थान का निर्धारण कर आवास निर्मित कर लोगों को देना । आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यवसायिक ढांचों के पुननिर्माण हेतु दी जाऐगी । पूर्ण रूप से नष्ट आवासीय तथा व्यवसायिक संरचना का पुननिर्माण आवश्यक हैं । इस हेतु जिले में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी । इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अस्थाई तथा स्थाई अधिवासों का निर्माण किया जायेगा । लोगों की भवन पुननिर्माण में स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिये मकानों की डिजाईन आदि में सहभागी प्रकिया अपनाई जा सकती हैं ।

पुनर्गठन हेतु मैट्रिक्स–

कार्य	विभाग	गतिविधि	समय सीमा	लागत	कोष का स्त्रोत
विद्युत	विद्युत विभाग	बहाली	आपदा से 72 घन्टे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
संचार	दूरसंचार विभाग	बहाली	आपदा से 72 घन्टे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
परिवहन	पथ परिवहन निगम रेल विभाग	बहाली	आपदा से 72 घन्टे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
चिकित्सा	चिकित्सा विभाग	बहाली	आपदा के तुरन्त बाद	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
पेयजल	जन स्वा.अभि.विभाग	बहाली	आपदा के तुरन्त बाद	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन

पुनर्वास

क्र.सं.	विवरण	विभाग	गतिविधिया	समय सीमा	लागत	कोष का श्रोत
1	लेगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।	जिला प्रशासन	उपलब्धता	आपदा के 07 दिन	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
2	जीवन बीमा जैसे विकल्प	बीमा कंपनियॉ	उपलब्धता	आपदा से 01 माह	जरूरत लोगो के अनुसार	राज्य व जिला आपदा निधि ।
3	मानसिक चिकित्साकी उपलब्धता	चिकित्सा विभाग	हीलिंग कैम्प	आपदा से 06 माह	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
4	प्रभावित ईलाको में समयस्या समाधान	जिला प्रशासन	शिविर आयोजन	आपदा से 01 वर्ष	नुकसान का आंकलनव आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
5	शिविर लोगो की जीवन गुणवता सुधार में सतत् प्रयास	जिला प्रशासन	विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं	आपदा से 2 से 3 वर्ष	नुकसान का आंकलनव आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि

अध्याय–10

Financial Resource for Implementation of DDMP

जिला आपदा प्रबन्धन योजना हेतु वित्तीय संसाधन

आपदा राहत व प्रत्याकमण हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में व्यापक बन्दोबस्त किये गये हैं । केन्द्र व राज्य स्तर पर राहत कोष स्थापित किये गये हैं । जो आपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं । जिला स्तर पर आपदा योजना कोष तथा आपदा राहत कोष की स्थापना की जायेगी । जिसका प्रयोग जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा । अन्य संसाधनों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगे । किसी भी कार्य को करने हेतु वित्तिय संसाधनों की आवश्यकता होती हैं, क्यो कि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उपकरणों की खरीद वित्तिय सुविधा पर आधारित हैं । आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात आदि सभी कार्यो के लिए वित्त की आवश्यकता पडती हैं । आवश्यक सेवाओं की बहाली, पुननिर्माण, पुनर्वास जैसे कार्य वित्तिय संसाधनों के बिना सभव नही हैं । अतः आपदा प्रबन्धन व राहत प्रत्याकमण हेतु वित्तीय साधन आवश्यक हैं ।

आपदा प्रबन्धन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्धता मुख्य रूप से त्रिस्तरीय (केन्द्र, राज्य, जिला) होती हैं । व्यावसायिक संस्थान, जनसहयोग से भी वित्तीय व्यवस्था की जाती हैं ।

एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत दावेदारी की प्रकिया–

राज्य स्तर पर सभी जिला कलक्टर की रिपोर्टस संकलित की जाती हैं और नुकसान के विवरण के आकडे केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया जाता हैं । एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से सहायता संबंधी निवेदन आते हैं तब केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक टीम उनका मूल्यांकन करती हैं और इसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जारी किये जाते हैं ।

क्षमता–वर्धन के लिये फंड–

आपदा प्रबन्धन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिये केन्द्र सरकार से फण्ड सालाना देने का प्रावधान किया हैं । यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियों, प्रिट, इलेक्ट्रोनिक मिडियॉ द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार पर खर्च किया जायेगा ।

वित्तीय प्रावधान–

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार से बजट (राशि) उपलब्ध कराया जाता हैं । आपदा राहत हेतु केन्द्र द्वारा राशि प्रदान की जाती हैं

आपदा राहत निधि–

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिये दी जाती हैं । जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता हैं । केन्द्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुये हैं–

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केन्द्रद्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता निधि से राशि प्रदान की जाती हैं । इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत ज्ञापन

केन्द्र सरकार को भेजा जाता हैं । जिस पर केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का आंकलन किया जाता हैं । केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती हैं ।

राज्य आपदा मोचन निधि –

राज्य में वित्त आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया हैं । राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होगा । इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदण्डानुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिये ही किया जायेगा ।

राजस्थान राहत कोष –

ऐसी प्राकृतिक आपदाऐं जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाा संभव नही हैं, सहायता देय नही हैं । उनमें राहत प्रदान करने/व्यय करने के लिये राजस्थान राहत कोष स्थापित किया गया हैं । इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया हैं । इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी । राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबन्धन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया हैं ।

वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान

आपदा प्रबन्धन के नये दृष्टिकोण (निर्वारण, प्रशमन, तैयारी, अनुकिया एवं पुनर्वास) के अनुरूप वित्तीय प्रावधान किये जाने आवश्यक है । इसके लिये राज्य आपदा मोचन निधि की तरह ही राज्य आपदा उपशमन निधि का सृजन ।

जिले के वित्तीय संसाधन –

यद्यपी आपदा के समय व्यापक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती हैं, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नही हो पाती हैं । फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर वित्तीय व्यवस्था आवश्यक हैं । इस हेतु जिला स्तर पर दो प्रकार का राहत कोष बनाया जायेगा ।

1– आपदा आयोजना कोष

यह कोष आपदा से पूर्व तैयारियों हेतु निर्मित किया जायेगा । इसका प्रयोग आपदा प्रबन्धन योजना तैयारी, प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन, उपकरणोंकी खरीद आदि के उपयोग में आयेगा । यह कोष केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त सहातया तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वित्तीय संसाधनों से निर्मित होगा ।

2– जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत–

जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत निम्न हैं जिनमें आपदा के समय वित्तीय सहायता ली जा सकती हैं–

व्यावसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान , शोरूम, होटल आदि
आद्यौगिक संस्थान	हिन्दूस्थान जिंक, बिरला सीमेन्ट, लाफार्ज, जे.के. सीमेन्ट आदि
एन.जी.ओ.	विभिन्न समाज सेवी संस्था एंव दानदाता
जन सहयोग	विभिन्न समाज सेवी
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेंगे ।

वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियॉ–

जिला स्तर पर वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की समस्त शक्तियॉ जिला कलक्टर में निहित होंगी । जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक विशेषाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जायेगा । जिसमें सदस्य–जिला आपदा प्रभारी, विभिन्न अग्रणी विभागों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा लेखाकार हो सकेगे । यह कमेटी समय–समय पर यह निश्चित करेगी की कब–कहॉ–कितने धन की आवश्यकता हैं । आपदा के पश्चात व्यय किये गये धन की ऑडिट समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा करवाई जायेगी । जिससे राहत कोष का दुरूपयोग रोका जा सके ।

DDMP कियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

DDMP के कियान्वयन हेतु एक समन्वित जिला तंत्र की आवश्यकता होगी जो आपदा आने पर DDMP का अनुसरण करते हुये तुरन्त सक्रिय होगें । केन्द्र व राज्य स्तर पर राष्ट्रीय /राज्य आपदा प्राधिकरण मिलकर एक समन्वय तंत्र बनाते हैं जो जिला प्रशासन आपदा के दौरान इसी तंत्र से समन्वय बनाते हुये कार्य करना होता हैं । जिले में जिला कलक्टर डीडीएमपी का मुखिया होगा तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्रभारी राहत सचिव होगा । इनके निर्देश पर जिला कार्यकारी समिति कियाशील होगी जो इंजीडेन्ट रेस्पॉन्स ग्रुप को निद्रेश देगी । सभी विभाग एवं नोडल अधिकारी कार्यभार संभाल लेंगे । स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग व प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी होगें । जो जिला स्तर पर समन्वय बनाये रखेंगे ।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ हैं । ये सभी संस्थाऐं परस्पर समन्वय से आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य करने के लिये उत्तरदायी हैं । सभी विभाग के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबन्धन एवं शमन के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार का काम करेगा । राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत हैं । किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालिन सेवाओं द्वारा रेस्पॉन्स किया जाता हैं इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं । इस काम में अन्य कई ऐजन्सियों तथा संस्थाऐं शामिल होती है ।

आपात सेवाऐं सदैव तैयार अवस्था में रहती हैं, जिसमें वह तुरन्त रिस्पॉन्ड कर सके तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सके । विभिन्न आपात सेवाऐं अनिवार्य होती हैं किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाऐं भी सहयोग करती हैं । ये सब संस्थाऐं अलग हैं इनकी ऑथोरिटी अलग हैं, पदानुकम अलग–अलग हैं । अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यो को बेहतर अंजाम देने हैं तो इन सभी विभागों तथा ऐजेन्सियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक हैं । साथ ही एक दूसरे की क्षमताओं , सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक हैं ।

जिला स्तर पर समन्वय

आपदा के समय फर्स्ट रिस्पोन्डर स्थानीय प्रशासन व लोग होते हैं । उनके तुरन्त बाद जिले को उत्तरदायी लेना होता हैं । जिले में डीडीएमपी सर्वोच्य स्तर पर होती हैं । इसके बाद जिले का उत्तरदायी जिला कलक्टर होगा । इसके पश्चात जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुखिया सचिव या कमाण्डर का कार्य करेगा । इसके साथ जिला सूचना अधिकारी एस.डी.एम. अथवा तहसीलदार (संबंधित स्थान के) कार्य करेंगे । एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा । इसके पश्चात दल तीन भागों में बट जायेगा ।

- ❖ सभी उत्तरदायी विभागों के मुखिया
- ❖ एसडीआरएफ के लीडर
- ❖ रसद प्रमुख

स्थानिय व निजी, समाजसेवी संस्थाऐं स्तर पर समन्वय

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुकिय कारक होते हैं । आपदा के प्रथम प्रभाव भी उन्हें ही झेलना पडता हैं । अतः स्थानीय प्रशासन, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत प्रमुख अनुकिया के कारक होते हैं । जिला कलक्टर स्थानीय प्रशासन को सुदृढ बनाया जायेगा तथा आपदा संभावित गांवों में प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याकमण हेतु सशक्त बनाया जायेगा । इस हेतु ग्राम स्तर पर त्वरित आपदा अनुकिया दल का गठन किया जायेगा

अध्याय–11

Procedure and Methodology For Monitoring, Evaluation, Updation and Maintenance of DDMP

जिला आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण

जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला कलक्टर के नेतृत्व में संचालित जिला आपदा प्रबन्धन समिति की हैं । जिसमें निरन्तर अद्यतन किया जाना चाहिये । आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 23.5 के अनुसार डीडीएमपी की सालाना रिव्यू और आधुनिकरण किया जाना चाहिए ।

जिले की आपदा प्रबन्धन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा । आपदा प्रबन्धन प्लान में सभी आपदा प्रबन्धन योजनाओं का सार और संकलन फल हैं । इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य, पेयजल एवं सेनिटेशन शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी और जिला परिषद विभाग आदि शामिल हैं । साथ ही अग्निशमन सेवा और नगर परिषद एवं पालिका इसका अभिन्न अंग होती हैं

ये योजनाऐं तभी कारगर साबित होगी जब आपातकालीन स्थिति में विशेष रूप से निचले स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाए समन्वय के साथ कार्य करें । प्रत्येक अद्यतन एवं आधुनिकरण के बाद दस्तावेज की प्रतिलिपि जिले में आपदा प्रबन्धन से संबंधित सभी विभाग एवं सहयोगी (विभागों) ऐजेन्सिया अपने स्तर पर समुचित तैयारी कर सके ।

योजना समीक्षा एवं आधुनिकरण समय सारणी

आपदा प्रबन्धन गतिशील होता हैं । जमीनी हकीकते बदलती आबादी और उसकी विशिष्ठता आपदाओं से निपटने की सरकारी प्रणाली डीडीएमपी की कार्यसाध्यकता का निर्धारण करती हैं । डीडीएमपी की समय–समय पर समीक्षा व आधुनिकरण किया जायेगा । तैयारी का सर्वोच्य स्तर प्राप्त करने और किसी भी विस्तार एवं तीव्रता वाली आपदा का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त एवं तकनीकी द्वारा संचालित **Hazard, risk and vunbarility, assasments** किया जायेगा । एचवीआरए के परिणामों के आधार पर डीडीएमपी की समीक्षा की जायेगी और व्यापक संशोधन किया जाएगा । डीडीएमपी की समीक्षा और सुधारीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा । लेकिन योजना में व्यापक संशोधन पंचवर्षिय किया जायेगा । जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी के बार–बार तबादले को ध्यान में रखते हुये योजना में अपडेट किया जाएगा । उसी प्रकार डीडीएमपी उपकरणों की सूची को तिमाही अपडेट किया जायेगा ।

आधुनिकरण समय सारणी अपडेट्स				
कार्य अपडेट	माह	तिमाही में	वर्ष में	पांच वर्ष में
अधिकारी कर्मचारी के नाम व दूरभाष नम्बर				
एच.आर.वी.मूल्यांकन व आपदोत्तर				
उपकरणों व उपलब्ध संसाधनों				
प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षाव आधुनिकरण				
DDMP में व्यापक संशोधन				

अध्याय–12

Standard Operating Procedures (SOPs) and Checklist
मानव संचालन कार्य प्रणाली तथा चैकलिस्ट

आपदा की स्थिति

आपदाऐं प्रगति में बांधा उत्पन्न करती हैं और वर्षो से किये गये विकास कार्यो के प्रयासों को निरर्थक करके देश को कई दशक पीछे धकेल देती हैं । समुत्थान के सन्दर्भ में आपदाओं का प्रभाव विकासशील देशो पर ज्यादा पडता हैं । इसलिये आपदा पूर्व प्रयासों जैसी तैयारी, क्षमतावर्धन, बेहतर जानकारी, प्रभावी जवाब प्रणाली, प्रबन्धन व पुनर्निर्माण से जान व माल के नुकसान को कम किया जा सकता हैं ।

आपदा एक मानव या प्रकृति प्रेरित घटना हैं । जिसके परिणामस्वरूप जान–माल की क्षति होती हैं । इसके साथ एक निश्चित क्षेत्र में आजीविका व सम्पत्ति की हानि होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगो को दुख व कष्ट झेलने पडते हैं । आपदा वह अवस्था हैं जिनमें स्थानीय प्रशासन असहज महसूस करता हैं तथा स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं । कोई भी संकट आपदा की श्रेणी में निम्न दशाओं में गिना जायेगा –

1– जन–धन की व्यापक हानि ।
2– सम्पति व आजीविका की व्यापक क्षति ।
3– स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से बाहर की दशा ।
4– प्रारम्भिक सूचनाओं के आधार पर जिले के लिए विषम परिस्थिति ।

आपदा के विरूद्ध राहत व प्रत्याक्रमण आपदा के स्तर से निर्धारित किया जायेगा, जो स्थानीय प्रशासन से मिली प्रारम्भिक सूचनाओं पर आधारित हैं ।

आपदा की चेतावनी पर सक्रिया–

जिले में आपदा चेतावनी की प्राप्ति का दायित्व सूचना व जनसम्पर्क विभाग के पास होगा । सूचना/चेतावनी स्थानीय स्तर से प्राप्त होगी तथा निर्धारित स्त्रोतो से होकर जिला स्तर पर पहूंचेगी। चेतावनी का प्रसारण आकाशवाणी, जिला केबल, प्रिट मीडिया तथा माईक आदि के माध्यम से किया जावेगा। जिला कलक्टर के निर्देश पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा प्रभारी तुरन्त सक्रिय होगें, जो जिला कार्यकारी समिति तथा इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम को सक्रिय करेंगे। इस प्रकार यह सक्रियता पदानुक्रमानुसार क्रियान्वित होगी ।

वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना–

इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स हेतु वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन की आपदा निधि तथा जिला आपदा प्राधिकरण से प्राप्त होगें । जन सहयोग तथा दानदाता तात्कालिक वित्तीय सहायता का प्रमुख स्त्रोत हो सकेंगे । आपदा राहत हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है । इस हेतु दायित्व संबंधित विभाग का होगा –

उपकरण	विभाग/स्त्रोत
1. जे.सी.बी.	नगरपरिशद/निजि संस्थान
2. बिल्डिग कटर	नगरपरिशद/निजि संस्थान
3. ट्रेक्टर ट्रोली	नगरपरिशद/निजि संस्थान
4. फावडें, गेती, तगारी आदि	नगरपरिशद/प्रशासन
5. नावें/गोताखोर	सिंचाई विभाग/नगर परिशद
6. मेडिकल वाहन	चिकित्सा विभाग/प्रशासन
7. चिकित्सा उपकरण	चिकित्सा विभाग
8. अस्थाई	प्रशासन/नगर परिशद
9. अस्थाई विद्युत व्यवस्था	नगर परिशद/प्रशासन
10. अस्थायी संचार व्यवस्था	पुलिस/दूरसंचार विभाग
11. परिवहन	प्रशासन/परिवहन विभाग

तालिका – त्वरित आवश्यक उपकरण व संबंधित विभाग

विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व–

आपदा राहत व प्रत्याक्रमरण में सभी विभागों की समन्वित भूमिका होती हैं। सभी इकाईयों व विभागों में सम्मि मलित रूप से कार्य करने पर ही योजना की उचित कियान्विति संभव हैं। उक्त सूची के अनुसार सिरोही के विभिन्न विभाग नोडल विभाग के रूप में संबंधित आपदा का कार्यभार ग्रहण करेगें।

क्र.सं.	नोडल विभाग	संबंधित आपदा
1.	आपदा प्रबंधन व सहायता	ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात
2.	ऊर्जा	विधुत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, संबंधी आपदा
3.	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बल, कानून व्यवस्था, भगदड, सडक, रेल दुर्घटना
4.	जल संसाधन	बाढ, बांध टूटना, बादल फटना
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकंप, बडें भवनों का गिरना
6.	खान	खान में आग, पानी भरना, डूबना
7.	उधोग	रासायनिक व औधोगिक आपदा, तेल फैलना
8.	नगरीय विकास	शहरी अग्नि
9.	राजस्व	गांव की आग, नाव पलटना
10.	वन	वनों में आग
11.	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खराब खाने से बीमारी
12.	कृषि	फसलों का खराबा, टिड्डी दल का हमला
13.	पशुपालन	पशु महामारी

विभिन्न आपदाऍं व जिला नोडल विभाग

सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन–

आपदा के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है। आपदा स्थल से विभिन्न प्रकार की आव यकताऍं तथा आपातकालिन सूचनाओं का जिला स्तर तथा जिला स्तर से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेशण आपदा स्थल तक होता रहता हैं। इन सभी के लिए उचित संचार प्रणाली आव यकता हैं। जिला सूचना व जनसम्पर्क विभाग इस हेतु नोडल विभाग तथा जिला सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी इस हेतु नोडल अधिकारी होगा।

मीडिया मैनेजमेंट –

विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम जैसे अखबार, मैगेजीन, टी.वी., आकाशवाणी आदि आपदा के समय प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगर संचार माध्यम प्रभावी हो तो सूचनाऍं तुरंत आम जन तक पहुॅचायी जा सकती हैं। जिलें में मीडिया मैनेजमेंट हेतु विभिन्न प्रयास प्रस्तावित हैं। विभिन्न संचार माध्यमों के कार्यालयों में पते तथा उनके फोन नम्बर नियत्रंण कक्ष में उपलब्ध होगें जिससे आव यकता होने पर तुरंत सम्पर्क कर सूचनाऍं प्रदान की जा सकें।

राहत व पुर्नवास के मानदंड–

कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पूर्नवास
खाली करवान व्यवसायिक आवासीय भवन	पुलिस व नगर परिषद	जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत राहत कार्य करवाना । व्यक्तियों तथा आव यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन विस्तापित लोगों हेतु अस्थाई सुरक्षा की व्यवस्था
खोज व बचाव	पुलिस,एनजीओं, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक, एनएसएस, एसडीआरएफ व गृह सुरक्षा , आपदा मित्र	संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थानों पर भेजना संकटग्रस्त पशुओं को बचाना गुमशुदा व्यक्तियों की खोज एवं बचाव सूचना देने हेतु नियत्रंण कक्ष की स्थापना।
प्रभावित क्षेत्रों का सुरक्षा पेरा	पुलिस व गृह रक्षा	प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा घेरा ताकि भीड को आपदा स्थल से दूर किया जा सके।
यातायात नियत्रंण	यातायात पुलिस व पुलिस	प्रभावित स्थलों के आसपास वाहनों को आने से रोकना राहत कार्य में लगे वाहनो में भीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था आव यकता पडने पर वाहनों की ओर व्यवस्था
कानून व्यवस्था	पुलिस गृह रक्षा, एसडीआरएफ	अफवाहों को रोकना आपदा के समय भगदड आदि को रोकने की व्यवस्था दंगे तथा लूटपाट को रोकना प्रभावितों को जान–माल की सुरक्षा
मृत का निस्तारण	चिकित्सा विभाग, पुलिस व नगर परिषद्	महामारी व प्रदूशण से बचने हेतु मृत देहो तुरंत विस्तापन मृत देहों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था मृत लोगों के संदर्भ में उनके रिश्तेदारों को सूचना देना।
मलबे का निस्तारण	पुलिस, नगर परिषद व प्रशासन	अतिआवश्यक सेवाओं के पूर्नस्थापन हेतु मलबें को हटाना मलबे को उचित स्थान पर डालना।

मानवीय राहत व सहायता –

राहत व पुनर्वास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानवीय आव यकताएँ आती है, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अत्याआवश्यक होती हैं जो जिलें में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होगे –

मानव राहत अतिआव यक व सुविधाएँ	मानक स्तर के कार्य
भोजन	दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण डेयरी के माध्यम से भोजन के पैकेट दानदाताओं से घर से एकत्रित करके, रसद विभाग फल इत्यादि का वितरण
पेयजल	नगरपरिशद द्वारा पेयजल टैंकर उपलब्ध करवाना पीएचडी विभाग द्वारा स्वच्छ, पेयजल उपल्ब्ध करवाना व पूर्व में विधमान जल स्त्रोंत की सफाई व क्लोरिन डालना पेयजल आपूर्ति तुरंत बहाल करना
दवाईयॉ	सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाओं जैसे–बुखार, दस्त, उल्टी आदि की दवाओं का वितरण दवा व्यवसाओं के पास पर्याप्त स्टोक सुनिश्चित करवाना चिकित्सा विभाग
वस्त्र	जिला प्रशासन एवं दान दाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण करना एनजीओं, एनएसएस, एनसीसी द्वारा पुराने वस्त्रों का संग्रहण व जरूरतमंदों में वितरण करना
अस्थाई आवास	अस्थाई आवास, स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन बारिश से बचाव व तिरपाल वितरण जिला प्रशासन
हेल्प लाईन	आपदा स्तर पर नियत्रंण कक्ष की हेल्पलाईन्स आपदा स्तर पर नियत्रंण कक्ष हेल्पलाईन की स्थापना करना
वीआईपी	प्रशासनिक अधिकारी व सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था परिवहन तथा भीड का नियत्रंण करना।
अन्य संस्थाओं का सहयोग	निजि विधालय अस्थाई आवास के रूप में निजी अस्पताल के साधनों का प्रयोग । निजी जेसीबी, ट्रेक्टर, ट्रोली, डम्परों, बसो व जीपों की सहायता लेना ।

जिले में आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के कियान्वयन हेतु एक SOP (Standard Operating Procedure) निर्धारित किया गया हैं । जिला आपदा प्रबन्धन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा । इसके पश्चात चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा ।

आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुये बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा । आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाऐं भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी । डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबन्धन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया हैं ।

सिरोही जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवकों का विवरण

क्र.सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	स्वंय सेवक का पूर्ण पता	मोबाईल नम्बर	प्रशिक्षित सेवा का नाम	विशेष योग्यता यथा तैराक, गोताखोर व अन्य
1	16	श्री उत्तम कुमार पुत्र श्री देवारामजी माली,	हॉस्पिटल के सामने वाली गली वीरवाडा (पिण्डवाडा)	9785536244	ऑक्सलरी फायर फाईटिंग कोर्स	–
2	06	श्री गणेश कुमार पुत्र श्री मगाराम मीणा,	मीणा वास, जैतपुरा, तहसील शिवगंज	7732802726	खोज एवं बचाव (पंचम नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कोर्स)	तैराक, फायर एण्ड सेफ्टि डिप्लोमा
3	45	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार,	एसबीआई के पास, कैलाशनगर	6375449539	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
4	48	श्री कैलाश राम हिरागर पुत्र श्री जगाराम हिरागर,	1172 नई आबादी, जावाल, सिरोही	9928314273	Advance Warden Service Course	हैल्पर
5	24	श्री भरत कुमार पुत्र श्री खुमाराम,	सिवेरा रोड मालणु जिला पाली	6378529586	वोलियन्टर फायर फाईटिंग कोर्स (सीटीआई कोर्स)	–
6	46	श्री रोहित कुमार मारू पुत्र श्री छगनलाल मारू,	प्लाट नम्बर 44, सरियादे कॉलोनी, रामपुरा, सिरोही	9461027598	खोज एवं बचाव (सप्तम् नागरिक सुरक्षा कोर्स)	वाहन चालक / कम्प्यूटर ऑपरेटर
7	33	श्री महेन्द्र मीणा पुत्र श्री रूपाराम मीणा,	सरूपनगर, मीणा वास, सिरोही	8963848917	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	हैल्पर
8	42	श्री किशनलाल पुत्र श्री खुमाराम,	मालनु रोड सिवेरा, तहसील पिण्डवाडा	6377156922	Flood Rescue Operation Course	आरएससीआईटी कोर्स
9	44	श्री भरत कुमार मीणा पुत्र श्री मांगीलाल मीणा,	मु.पो. बिसलपुर, भैरव नैत्र चिकित्सालय के पास, बिसलपुर(पाली)	9680675153	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर / फायरमैन
10	21	श्री मनोहर कुमार मीणा पुत्र श्री गेनाराम मीणा,	स्वरूपनगर,मीणा वास, भाटकडा, सिरोही	9602267496	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	हैल्पर
11	14	श्री शंकरलाल पुत्र श्री जीवाराम, निवासी	मु0पो0 लुन्दाडा,तहसील बाली, जिला पाली	9166080876	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	तैराक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, हैल्पर
12	17	श्री अरविन्द कुमार मीणा पुत्र श्री कपुराराम मीणा,	मीणा वास, लुन्दाडा, पोस्ट मालनू, तहसील बाली, जिला पाली	9352690534	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
13	05	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रूपाराम मीणा,	मु0पो0 वेराजेतपुरा, तहसील शिवगंज	9785392197	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	हैल्पर
14	23	श्री भैराराम मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा,	सरूपनगर, मीणावास, भाटकडा, सिरोही	8107593897	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	हैल्पर
15	15	श्री गौतम कुमार पुत्र श्री तेजाराम,	सार्दुलपुरा, मातरमाताजी के पास, सिरोही	8094787423	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	हैल्पर
16	22	श्री अर्जुन कुमार मीणा पुत्र श्री गेनारामजी,	स्वरूप नगर, मीणावास, भाटकडा, सिरोही	8386021914	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
17	08	श्री किशन पुत्र श्री घनश्याम कुमार,	एस.पी.बंगलो के पीछे (सिरोही)	9521377669	Collapsed Structure Search & Rescue Course	हैल्पर

18	07	श्री अल्पेश पुत्र श्री घनश्याम कुमार,	एस.पी.बंगलो के पीछे (सिरोही)	8239626455	Basic Life Suppor Course Auxiliaey Fire Fighting Course	हैल्पर
19	04	श्री नरेन्द्र राज हिरागर श्री घनश्याम कुमार	एस.पी.बंगलो के पीछे (सिरोही)	8058938038	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
20	41	श्री सन्नी गुर्जर पुत्र श्री किशन लाल गुर्जर,	केशवगंज, सिवेरा	8005669656	Disaster Response & Preparedness Course	फायर मैन, हैल्पर
21	38	श्री गोपाल लाल पुत्र श्री पन्नालाल	कालकाजी रोड भाटकडा, सिरोही,	9950125837	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	गौताखोर/तैराक
22	18	श्री अमित रावल पुत्र श्री हंसमुखजी रावल,	पोस्ट गली वीरवाडा, तहसील पिण्डवाडा	7426848722	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
23	19	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल कुम्हार,	देव नगरी टांकरिया, गली, नं. 03 सिरोही	8769124100	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
24	27	श्री अनिल सिंह पुत्र जय सिंह	झांकर, पो0 जनापुर	8696344880	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	फायर मैन
25	09	श्री वसीम अकरम पुत्र श्री अब्दूल मजीद	मु.पो. वीरवाडा, तहसील पिण्डवाडा	8949672030	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
26	35	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रघुनाथ राम,	चोपावाली वास, छावणी, शिवगंज	7339721316	61 Search &Rescue Techniques नागपुर	फायर ऑफिसर डिप्लोमा/खोज एवं बचाव कार्य तकनीक प्रशिक्षण
27	01	श्री केसरसिंह पुत्र रणजीत सिंह	नयावास, नं.1 सारणेश्वर दरवाजे के पास एसवीएम स्कूल के पास सिरोही	8949037939	Incident Command Course	कम्प्यूटर ऑपरेटर
28	37	श्री प्रवीण सिंह चौहान पुत्र श्री जीएस चौहान,	नया सानवाडा	8005879828	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	तैराक/वाहन चालक
29	31	श्री महेन्द्र राणा पुत्र लुम्बाराम	देवनगरी टांकरियॉ सिरोही	8890101538	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
30	30	श्री अशोक राणा पुत्र श्री रामलाल,	कालकाजी रोड, भाटकडा, सिरोही	8690155369	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	तैराक
31	47	सरफराज खॉन पुत्र श्री मुख्तियार खान,	सरकारी अस्पताल के पीछे, बडा भीलवाडा, झुपडीरोड, सिरोही	8209157657	61 Search &Rescue Techniques नागपुर	–
32	92	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जेसाराम परिहार	बस स्टेण्ड सिंचाई विभाग के पास सिरोही	7073413482	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	हैल्पर
33	83	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मोतीराम मीणा,	28/64 हाउसींग बोर्ड, सिरोही	8386023525	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
34	56	राजेश्वरी चौहान पुत्री श्री जी.एस. चौहान	नया सानवाडा	8209804879	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	आपदा मित्र प्रशिक्षण
35	99	नीतु पुत्री भोपाल सिंह,	राठौड लाईन, सिरोही	7424885906	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	हैल्पर
36	84	श्री भेराराम पुत्र श्री टीमाराम,	मु.पो. अन्दौर, शिवगंज, जिला सिरोही	8769950089	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
37	94	रविकान्त मारू पुत्र महेन्द्रपाल मारू	रामदेवजी मंदिर के पास, पिण्डवाडा	9602082361	Bombs Safety Course	कम्प्यूटर ऑपरेटर
38	82	मुकेश मीणा पुत्र चमनलाल मीणा,	चवरली (पोस्ट) बसन्तगढ, तहसील पिण्डवाडा	9929618079	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
39	67	अरूण कुमार पुत्र छगनलाल मारू	मारू भवन, नई आबादी हरजी रोड,	6377763623	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	आपदा मित्र कोर्स, (RS-CIT कोर्स)

			जावाल, सिरोही			
40	65	भरत कुमार हीरागर पुत्र बाबुलाल हीरागर,	हिरागर वास, नया सानवाडा, तहसील पिण्डवाडा	9784290934	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
41	72	कन्हैयालाल पुत्र शान्तिलाल,	कुम्हारवाडा रोड, रेवानाथ अखाडा के पास, आयुर्वेद होस्पीटल, सिरोही	9549319819	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
42	87	सवाराम पुत्र नरसारामजी, भीलों का वास	अखापूरा खारल, शिवगंज	8239647151	खोज एवं बचाव अष्टम नागरिक सुरक्षा कोर्स	कम्प्यूटर ऑपरेटर
43	51	रतन देवी पत्नि नरेन्द कुमार	देवनगरी टांकरिया, सिरोही	8386840686	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	–
44	50	गीता देवी पत्नि	इन्द्रमल, झुपडीरोड, सिरोही	9511543536	Fire Fighting Course	–
45	80	अर्जुन कुमार पुत्र मगनलालजी,	पुरानी पुलिस लाईन, झुपाघाट, सिरोही	9660928480	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर व तैराक
46	53	चीकू मेघवाल पुत्री रूपाराम	उत्तरी मेघवाल वास, सिरोही	7665490606	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
47	90	नारायण मीणा पुत्र सावूराम	स्वरूप नगर, मीणा वास, भाडकडा, सिरोही	8963848918	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
48	91	रतीलाल पुत्र शंकरलाल	स्वरूप नगर, मीणा वास, भाटकडा, सिरोही	9782041858	Volunteer Fire Fighters Course	कम्प्यूटर ऑपरेटर
49	78	प्रतापराम पुत्र ओबारामजी	केसरपुरा, शिवगंज	9785918858	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	फायर मैन
50	97	लक्ष्मण कुमार मीणा पुत्र मगाराम मीणा	मु.पो. वेरा जेतपुरा	6367085173	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	तैराक
51	81	मुकेश कुमार पुत्र वेलारामजी	पुरानी लाईन पुलिस के पास, झूपाघाट,सिरोही	8094435100	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
52	76	लक्ष्मण पुत्र मगनलाल	एस.पी.बंगलों के पीछे, झूपाघाट सिरोही	6350639112	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
53	70	सुरेश कुमार मीणा पुत्र मुलारामजी मीणा,	वार्ड नं. 23 सार्दुलपुरा सिरोही	9529512804	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
54	52	किरण कुमारी पुत्री मांगीलाल	कृष्णापुरी मेणवाडा, सिरोही	9784750836	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
55	54	ललिता पुत्री छगनलाल मारू	मारू भवन, श्रीयादे कॉलोनी रामपुरा, सिरोही	9461027598	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	RSCIT
56	96	हेमलता मीणा पुत्री सोलाराम मीणा,	मीणावास, राजपुरा (बाल्दा) सिरोही	7073351376	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	–
57	55	ज्योत्सना कुमारी पत्नि हेमाराम मीणा	महाकाली नगर, सिरोही	8955320409	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	–
58	57	हिमांशी व्यास पुत्री घनश्यामजी व्यास	छोटी ब्रहमपुरी सिरोही	7427844598	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	RSCIT
59	86	जगदेव कुमार पुत्र श्री रूपाराम	सिवेरा तहसील पिण्डवाडा	9660562158	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	एनसीसी सर्टिफिकेट
60	58	उषा कुमारी पत्नि नरेन्द्र राज हिरागर	एस.पी.बंगलों के पीछे, सिरोही	9799461361	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	–
61	64	विनोद कुमार पुत्र ओबाराम सरगडा,	हिरागर वास, सानवाडा, तहसील पिण्डवाडा	7340442547	Chemical Biological Radiological/ Nuclear First Respondent Course	RSCIT

62	93	शाहनवाज चौहान पुत्र शरीफ खॉन	ईस्कॉन प्लाजा, झालरा मस्जिद रोड, सिरोही	9588859734	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्युटर ऑपरेटर
63	62	शाकीर हुसैन पुत्र शौकत हुसैन,	कॉलेज के पीछे, भीलो का वास, सिरोही	8058815508	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्युटर ऑपरेटर
64	60	ईरफान खान पुत्र हबीब खॉन.	अजयपुरा गली, पिण्डवाडा	9784786106	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक
65	10	श्री मांगीलाल पुत्र श्री लालाराम मीणा,	मु.पो.मालनु, तह0बाली, जिला पाली	9694662549	एडवान्स वार्डन कोर्स	वाहन चालक, फायर मैन, तैराक
66	59	रवि मीणा पुत्र मगनलाल मीणा,	आईडीबीआई बैक के पास,सिरोही	8690381298	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	तैराक
67	63	श्री संजय कुमार पुत्र जुआरा राम,	मु.पो. मण्डवाडा (उड) सिरोही	7230858032	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	कम्प्यूटर ऑपरेटर
68	69	श्री हेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह,	बग्गीखाना के पास, डाबीलाईन, सिरोही	8432366030	नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक	वाहन चालक

जिला प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधनों की सूची

क. सं.	उपलब्ध खोज एवं बचाव उपकरण का नाम	क. सं.	उपलब्ध खोज एवं बचाव उपकरण का नाम
01	Personal Floatation dovico	31	ड्रोन एवं कैमरा
02	Torchor Emergency light (Solar Enabled)	34	लेपटोप (ड्रोन संचालन हेतु)
03	Safety Gloves	35	BoB Rope 12 mm (60 मीटर प्रति रोप रोल)
04	Mtrs 10/11 mm BOB Nylon rope	36	BoB Rope 12 mm(60 मीटर प्रति रोप रोल)
05	Life buoys	37	गम बुट
06	ORS & Rowlocks	38	फूल बॉडी हॉरनेस
07	Paddles	39	स्ट्रेक्चर फोल्डिग D टाईप
08	Anchors	40	स्ट्रेक्चर स्पाईन बोर्ड
09	Galvanized metal bucket or baller	41	ब्लेकेन्ट (रेड)
10	OUTBOARD MOTOR MINIMUM 30-40 HP	42	केराबाईनर
11	DCP File Extingulsher	43	हैण्डगलव्स रबर
12	Emergency spot light with minimum 10 hour run time	44	मल्टी मास्क
13	Tool Kit	45	हैण्ड टूल्स सैट
14	AXE/Hatchet 3kg	46	ड्रेगन लाईट
15	Fiberglass blackboard Stretcher	47	मेघा फोन
16	Radio Walky Set 5 watt	48	सेफ्टी नेट
17	Blankets	49	ड्रोन
18	Park Pickets	50	पोर्टेबल इन्फलेटेबल इमरजेन्सी लाईटिंग सिस्टम
19	First Aid Kit	51	एल्यूमिनियम एक्टेशन लेडर 25" फोल्डींग
20	Twin Pronged Graphed/Cat Hooks	52	फेस्क मास्क
21	Throw Bag	53	स्पेड हीरो (फावडा)
22	Gum Boots	54	पीक्स
23	Safety Goggles	55	फायबर रोप्स
24	Safety Helmet (Water Rafting)	56	टेन्ट केनवास
25	GPS Sets	57	सेफ्टी हेलमेट
26	Navigation lights	58	रबर टयूब 4 फिबोसी
27	Maps Charts and Compass	59	पूली सिंगल
28	Chain Saw Machine	60	पूली डबल
29	Camping tont – Water Resistant 10 person	61	हेवी चेन विथ लोक बुली

जिले में स्थापित विद्युत सायरनों की सूची एवं स्थान

क.सं.	जिले में स्थापित सायरनों की कुल संख्या	सायरन का स्थान	सायरन की वर्तमान स्थिति	
			क्रियाशील	अक्रियाशील
01	02	03	04	05
01	107	01–नगर परिषद सिरोही कार्यालय भवन के उपर	01	–
02		01–पुरानी नगर पालिका शिवगंज	01	–
		02–श्री राम गौशाला शिवगज	01	–
03		01–नगर पालिका परिसर पिण्डवाडा	01	–
		02–पंचायत समिति, पिण्डवाडा	01	–
		03–राजीव गांधी सेवा केन्द्र रोहिडा, (पिण्डवाडा)	–	01
		04–राजीव गांधी सेवा केन्द्र भांवरी, (पिण्डवाडा	एम्पलीफायर द्वारा–01	–
		05–राजीव गांधी सेवा केन्द्र भारजा, (पिण्डवाडा)	–	01
		06–राजीव गांधी सवा केन्द्र झाडोली (पिण्डवाडा)	–	01
		07–जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट फैक्ट्री पिण्डवाडा	01	–
		08–अल्ट्राटेक सीमेन्ट,जे.के.पुरम,पिण्डवाडा	01	–
		09–वॉलकेम इण्डिया प्रा.लि. पिण्डवाडा	01	–
04		01–तहसील कार्यालय आबूरोड	01	–
		02–रेन बसेरा नगर पालिका आबूरोड	01	–
		03–भंसाली प्रा0लि0 रिको आबूरोड	01	–
		04–रेल्वे स्टेशन आबूरोड	01	–
		05–मार्डन इन्सुलेटर लि0 आबूरोड	01	–

		06–गेल इण्डिया हनुमान टेकरी के पास, आबूरोड	01	–
		07–गुजरात गैस स्टेशन आबूरोड जिला अस्पताल के सामने	01	–
		06–IOCL Riico Aburoad	01	–
		07–नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित बैंक आबूरोड	01	–
05		01–जयपुर हाउस, आबूपर्वत	01	–
		02–देलवाडा चौकी, आबूपर्वत	01	–
		03–गौरा छपरा गरबा चौक,आबूपर्वत	01	–
		04–कुम्हारवाडा,आबूपर्वत	02	–
		05–ढुंढाई, आबूपर्वत	01	–
		06–राजभवन रोड, आबूपर्वत	01	–

जिले में अग्निशमन वाहन उपलब्धता की सूचना भिजवाने बाबत्।

जिले में ऑन रोड अग्निशमन वाहन की संख्या एवं लोकेशन							हाईड्रेन्ट (अग्निशमन वाहन में पानी आपूर्ति हेतु)	
क.सं.	नागरिक सुरक्षा विभाग		नगर निगम,परिषद, पालिका		अन्य विभाग/संस्थाओं का नाम			
	संख्या	लोकेशन	संख्या	लोकेशन	संख्या	लोकेशन	संख्या	लोकेशन
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	–	–	02	सिरोही	–	–	01	नगर परिषद सिरोही
02	–	–	01	शिवगंज	–	–	01	नगर पालिका,शिवगंज
03	–	–	–	–	02 01 01	अल्ट्राटेक जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट, पिण्डवाडा एचपीसीएल पंपिग स्टेशन, पिण्डवाडा	–	–
04	–	–	02	आबूरोड	01 01	गेल इण्डिया लि. आबूरोड ब्रहमकुमारी आबूरोड	01	नगर पालिका,आबूरोड
05	–	–	02	आबूपर्वत	01	एयर फोर्स स्टेशन आबूपर्वत	01	नगर पालिका आबूपर्वत

सिरोही जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों की सूची

क.स	नाम अधिकार	मोबाईल नम्बर	कार्यालय	निवास
1.	श्रीमती अल्पा चौधरी, जिला कलक्टर, सिरोही	8696666626	221187 220497	—
2.	डॉ दिनेश राय सापेला, अति.जिला कलक्टर, सिरोही	9460007941	220355	220356
3.	श्री अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, सिरोही	9530431300	220718	220719
4.	श्रीमती मृदुला सिंह उप वन संरक्षक, सिरोही	8175053050	222277	222296
5.	श्री प्रकाशचंद अग्रवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिरोही	8890486969	221058	222344
	श्री शैलेन्द्र जोशी चार्ज अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.परिषद सिरोही	7427889913		
6.	रिक्त अति. पुलिस अधीक्षक सिरोही चार्ज प्रभूलाल धानिया	9414303666	221208	221205
7.	श्री रामेश्वरलाल अति. पुलिस अधीक्षक सिरोही ACB	9414373801	221776	—
8.	रिक्त, सचिव, नगर विकास न्यास, आबू चार्ज SDM ABU	7903284776	221345	—
9.	डॉ. अंशु प्रिया उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत	7903284776	238489	238490 / 409
10.	श्री हरि सिंह देवल, उपखण्ड अधिकारी सिरोही	9001680393	222220	222221
11.	श्री नीरज मिश्र उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	9784873999	270717	—
12.	श्री मनसुख राम डामोर उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	9829686089	280300	7597656465
13.	श्री सुबोध सिंह चारण, उपखण्ड अधिकारी रेवदर	9610026511	282220	282221
14.	श्री शंकरलाल मीणा उपखण्ड अधिकारी आबूरोड	9414273824	—	—
15.	श्रीमती अपा गुप्ता, जिला न्यायाधीश सिरोही	9811300057 9828630057	221180	220157
16.	उपजयुक्त टीएडी आबूरोड चार्ज एसडीएम आबू	7903284776	222411	महेश क.स.
	श्री हीरालाल मीणा, विकास अधिकारी, टीएडी	7073237268		9799309523
	श्री मनोहरसिंह चारण ADEO	8233610154		
17.	श्री शुभम जैन, उपवन संरक्षक, आबूपर्वत	9571239361	235211	रविन्द्र क.स.
	श्री जिग्नेश शर्मा, उप वन संरक्षक, दांतीवाडा, प्रोजे. आबूरोड़	9460176890		6377348794
18.	श्री तेजसिंह जिला रसद अधिकारी [DSO] सिरोही	7726835564	—	—
	श्री विनोद कुमार प्रर्वतन निरीक्षक, रसद कार्यालय, सिरोही	9783200599	—	—
19.	श्री गोविंद चौधरी JD, DOIT सिरोही	9783750384	—	—
	श्री वेणी गोपाल, ACP, DOIT सिरोही	8559861474	—	—
	श्रीमती नेहा राठौड, प्रोग्रामर, सिरोही	9929987372		
20.	श्री महेन्द्र सिंह, DIO NIC	9461001555	220348	8209001030
	श्री मनोज ठाकोर RSWAN Engineer	9824063149		
21.	श्रीमती अल्का सिंह कोषाधिकारी, सिरोही	9413484672	—	—
	लेखाधिकारी, कलक्ट्रेट, सिरोही चार्ज हमीराराम	9660069534	—	—
22.	श्री जगदीश कुमार तहसीलदार, सिरोही,	9799191903		9509700092
	श्री अचलाराम नायब तहसीलदार, सिरोही	9799836861	—	
	श्री, गेना राम ना0तहसीलदार, कालन्द्री	7742407251		
23.	तहसीलदार पिण्डवाडा चार्ज ना.त. पिण्डवाडा	9414523791	282048	—
	श्री शंकरलाल परिहार नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा	9414523791		—
	श्री नेनाराम नायब तहसीलदार, भांवरी	9928020757		
24.	श्री डूंगरमल, तहसीलदार देलदर	9166701200	7976163406	
	श्री मोहनलाल डांगी ना0तहसीलदार,देलदर	9414545599	270649	—
25.	श्री श्यामसिंह चारण, तहसीलदार शिवगंज	7014867870	—	—
	श्री स्नेहदीप सिंह सान्दु, ना0तहसीलदार, शिवगंज	7073167278	—	—
	(प्रतिनियुक्त भू अभि. शाखा कलक्ट्रेट, सिरोही)			
	श्री सीपी चारण नायब तहसीलदार, कैलाशनगर	9588069561	—	—
26.	श्रीमती मंजू देवासी, तहसीलदार, रेवदर	9784439255		

	श्री पुखराज रावल नायब तहसीलदार, रेवदर	9413468249		
	श्री जब्बर सिंह, नायब तहसीलदार, मण्डार	6378068476	282328	—
27.	श्री मंगलाराम मीणा, तहसीलदार, आबूरोड	9461444917		
	श्री आसूराम नायब तहसीलदार, आबूरोड	9799689861	282230	222231
28.	श्री हेमाराम विकास अधिकारी, रेवदर	8107210475	272230	258377
29.	श्री मंछाराम विकास अधिकारी, सिरोही	9672015552	222230	—
30.	श्री मुलेन्द्र सिंह राठौड विकास अधिकारी, शिवगंज	8700231592	282230	—
31.	अति चार्ज श्री जितेन्द्र सिंह राणावत विकास अधिकारी, पिण्डवाडा	9414200660	222230	254428
32.	श्री पुखराज सरेल, विकास अधिकारी, आबूरोड	9982135152	222240	222241
33.	श्री मुकेश चौधरी उपअधीक्षक, सिरोही	9664328610		
	श्री, दिनेश कुमार उपअधीक्षक एससीएसटी, सिरोही	9649534677		
	श्री कैलाशदान नि.पु. साईबर थाना सिरोही	9929373131	220125	—
34.	श्री पुमपेन्द्र वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस शिवगंज	9982745154	238973	238974
35.	श्री मनोज कुमार उप अधीक्षक पुलिस रेवदर	9829525660	282240	282241
36.	श्री भंवरलाल चौधरी उप अधीक्षक, पिण्डवाडा	9414100080		
37.	श्री गोमाराम, उप अधीक्षक, आबूपर्वत	9414414884	223100	223100
38.	श्री दलपतसिंह नि.पु. पुलिस थाना कोतवाली सिरोही	8003315366		
	श्री घनश्यामसिंह नि.पु. पुलिस थाना सदर सिरोही	9602405585	—	—
39.	श्रीमती सजना बेनिवाल उ.नि. महिला थाना सिरोही	9772380211	222363	—
40.	श्री विक्रम सिंह जेलर, चार्ज उप अधीक्षक, जैल सिरोही	9166957171		गंगाराम 9571105699
41.	श्री रणवीरसिंह जैलर, आबूरोड	9828489595	222257	220009
42.	श्री शंकरलाल मीणा संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सिरोही	9929371327		
	श्री ओमप्रकाश बैरवा पीडी आत्मा सिरोही	9166649796		
	डॉ0 हेमराज मीणा उप निदेशक, हार्टिक्लचर	9983561345	अभयपाल	9649760207
43.	उप पंजीयक सिरोही चार्ज तहसीलदार, सिरोही		दीपक भट	9414273131
44	उप पंजीयक, आबूरोड चार्ज तहसीलदार, आबूरोड		महेश क.स.	9799309523
45.	उपायुक्त टीएडी आबूरोड चार्ज एसडीएम आबू		235151	आबताब 9829991231
46.	श्री भैअसिंह, चार्ज सहा. निदेशक पर्यटन, आबूपर्वत	9414249162	238944	
47.	श्री विक्रम सिंह मैनेजर, RTDC होटल शिखर, आबूपर्वत	9929020748	—	अभिषेकसिंह 9414544369
48.	श्री अजय जैन जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही	9983201234		
49.	श्री संजय कुमार दवे S.E. WATERSHED सिरोही	9414674038	—	—
50.	श्री धीरज दवे जन सम्पर्क अधिकारी,सिरोही	9982277305	294133	9414284939
	श्री फूलाराम जनसंपर्क कार्यालय, सिरोही	9414284032		
51.	डॉ दिनेश खराडी CMHO सिरोही	9116003775	222259	222262
	डॉ. सत्यप्रकाश शर्मा Dy CMHO परिवार कल्याण	6378401270		
	डॉ0 रतन चौधरी, टी.बी./सिलिकोसित, सिरोही डॉ. रितेश सांखला RCHO सिरोही	6375762013 9784486960	221733 223298	
52.	डॉ. वीरेन्द्र महात्मा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही	9414398586	220049	220507
	डॉ. अखिलेश पुरोहित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, शिवगंज	9782154309		
	डॉ श्रवण कुमार प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, सिरोही	7976697394	—	—
53.	श्री यशवंत व्यास चार्ज उप निदेशक आयुर्वेद सिरोही	8000576610	9660612843	
54.	रिक्त SE PWD सिरोही अति चार्ज आर सी बराडा	9414153758	222588	220196
55.	रिक्त, अधि. अभियंता पीडब्लुडी, सिरोही चार्ज श्री दामोदर देवासी शिवगंज	8949309730	221714	—
	श्री राकेश, सहायक अभियंता पीडब्लुडी, सिरोही	8209541627		
56.	श्री आर.सी. बराडा, अधि.अभियंता पीडब्लुडी,आबूरोड	9414153758	222165	221715
	श्री तनवीर, सहा. अभियंता पीडब्लुडी, आबूरोड	9594205295		
57.	श्री शिव प्रकाश ExEn सिंचाई सिरोही	8114482036	222336	222592
58.	श्री भोमाराम कुमावत SE जलदाय विभाग सिरोही	9414391753	220131	9983320682
	श्री राजेन्द्र गुर्जर TA to SE सिरोही	9602540548		

	श्री राणसिंह ExEn जलदाय विभाग सिरोही	7727832771		
	श्री गजानंद प्रजापत ExEn Project, सिरोही	7427891797		
	श्री केदारलाल गुप्ता, AEn Project, सिरोही	9414814475		
59.	श्री हेमन्त कुमार ExEn जलदाय विभाग आबूरोड	9929398450	222260	
	श्री कालुराम AEn जलदाय विभाग आबूरोड	9784736239		–
60.	रिक्त सहा.अभि.जलदाय विभाग, पिण्डवाडा	–	–	–
61.	श्री हेमेन्द्र जिंदल एस.ई. डिस्कॉम सिरोही	9413359370	225455,	8239074559
	श्री इन्दरदान चारण (RDSH) TA to SE सिरोही (चार्ज)	9929922536	222337	
	श्री तरूण खत्री अधि.अभि. डिस्कॉम, सिरोही श्री सौरभसिंह सहा. अभियंता डिस्कॉम, सिरोही	9413359305 9413359329		9166962887
62.	श्री सहजाद अधि.अभि. डिस्कॉम, आबूरोड	9413359306	222995	
	श्री मिमिलेश सहायक.अभि. डिस्कॉम, आबूरोड	9413359335	282250	–
	श्री प्रकाशचंद मीणा अधि.अभि.,जोविविनि,रेवदर	9413359368		
63.	श्री विश्वास काले SE Transmission (प्रसारण)सिरोही	9414061050	–	–
64.	श्री दीपेन्द्र सिंह, सहज.निदेशजक, जी.पी.एफ., सिरोही	9929952799	222425	–
65.	डॉ. अअण खत्री संयुक्त निदेशक पशुपालन सिरोही	9079765021	–	–
	डॉ. संजय भौंसले उप निदेशक पशुपालन , सिरोही	9530113451	–	–
66.	श्री रामेश्वर प्रसाद जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही	7726954159	221688	221204
	श्री सूजनाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक	9950183222		
67.	श्री ओमप्रकाश चौधरी जिला परिवहन अधिकारी,आबूरोड	9929738254	226670	–
68	श्री सहीराम महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सिरोही	9929432929	222375	–
69.	श्रीमती अंकिता राजपुरोहित सहा.नि. महिला अधिकारिता	9269947987	222484	
	श्री सोमेश्वर देवडा उप निदेशक आईसीडीएस	9672218001		–
	श्री सुबोध जोशी सीडीपीओ	8949980402		
	श्री घेवरचंद राठौड CDPO	9610514401		
70	श्री राजूसिंह चौहान जिला रोजगार अधिकारी,सिरोही	9694347734	224142	7073939043
71.	श्री राजेन्द्र पुरोहित सहा.निदे,बाल संरक्षण इकाई, सिगजेही	9928701604	222544	–
	श्री राजेन्द्र पुरोहित उप.निदे.सामा.न्याय व अधि.सिरोही	9928701604		
	श्री अशोक कुमार, सा. सुरक्षा अधिकारी, सिरोही	9414603610	6376672931	
	श्री भंवर सिंह, अधीक्षक, किशोर गृह सिरोही	9511571540		
72.	श्रीमती मृदुला व्यास CDEO समग्र शिक्षा सिरोही	9414201804	221040	
	श्री अजय माथुर, सहा. निदेशक, समग्र शिक्षा सिरोही	9414544018		222249
	श्री मृदुला व्यास DEO (प्रा.शि.) सिरोही	9414201804		
73.	श्री विपिन डाबी ADEO प्रारम्भिक	9251648538	220332	225107
	श्री नरेश परमार ADEO माध्यमिक	9414449193		
	श्री हनीफ खान, ADEO माध्यमिक	9414086441	9414316624	
74.	श्री कांतिलाल आर्य ADPC समग्र शिक्षा सिरोही	9782833050	–	–
	श्री कांतिलाल आर्य APC	9782833050	–	–
	डॉ. नरेन्द्रसिंह चारण, APC	9929084512		
	श्री CBEEO सिरोही			
	श्री रघुनाथ रावल, AEN समसा	9001505322		
75.	रिक्त जिला साक्षरता अधिकारी सिरोही	–	220705	–
76.	रिक्त डाईट, मॉ. आबू	–	–	–
77.	श्री अजय शर्मा चार्ज महाविद्यालय, सिरोही	9414424078	221684	
	श्री शैलेन्द्र सिंह प्राचार्य राज.महिला महाविद्यालय,सिरोही	9413818168	221275	–
	श्री विजय प्राचार्य विधि महाविद्यालय सिरोही	8879228645		–
78.	श्री रवि शर्मा प्राचार्य राज.महाविद्यालय,शिवगंज	9414449833	7014361533	–
	अंशुरानी सक्सेना प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड	9414449415		–
	श्री मुकेश मीणा चार्ज प्राचार्य, महाविद्यालय, रेवदर	9818131986		
	श्री कन्हैयालाल भाटीया चार्ज प्राचार्य,महाविद्यालय, पिण्डवाडा	9460832967		
79.	श्री बाबूलाल सिंगारिया, प्राचार्य, पोलोटेक्निक,सिरोही	9414544292	222401	–
	श्री दिनेश कुमार गौड उपनिदेशक आई.टी.आई., सिरोही	9461291017		
80.	श्री पी.सेलवम प्राचार्य, नवोदय विद्यालय, कालन्द्री	9057584686	264356	264532
81.	श्री जयदेव देवल उप रजिस्ट्रार सहकारी समि. सिरोही	9829056897	222347	
82.	श्री पूनाराम चोयल एम.डी.,सीसीबी, सिगजेही	9672752525	222349	222394

83.	श्री रिमाभ मरडिया स्पेशल आडिटर, सह.समितियां, सिरोही	8949904009	222282	222386
84.	परि.प्रबंधक SCDC, SRH. चार्ज स.नि.समाज कल्याणअधि.	9983113077	9549320351	मंजूलता
85.	श्री यू.आर.मीणा लीड बैंक अधिकारी, सिरोही	8003198008	222424	
86.	श्री नरेश वर्मा प्रबंधक सर्किट हाउस, सिरोही	9414858586	221777	222607
	श्री भगवत सिंह, कनिष्ठ सहायक	8955301211		
87.	श्री सत्येन्द्र बिहारी , मैनेजर, सर्किट हाउस, आबू	9414076553	238933	238934
	श्री कैलाश हॉउस कीपर	9460800433		
88.	श्री यशवन्तराज मुख्य प्रबंधक, रोडवेज, सिरोही	9461031526	222511	222329
89.	श्री प्रवीण बोराना मुख्य प्रबंधक, रोडवेज, आबूरोड	9549653267	222323	9414494544
90.	श्री सियाराम मीणा, उपनिदेशक सांख्यिकी विभाग	9784631094	222427	—
91.	श्री राजेश वर्मा, जिला आयोजना अधि. सिरोही	9414179829	220706	—
92.	श्री चंदु ,खान सम्पूर्ण caPNrt अभियंता	9461064670	—	—
93.	श्री राजपालसिंह बेनिवाल CTO सिरोही चार्ज महिपाल	9414243017	222243	222287
	सिंह देवडा CTO सुमेरपुर	9468527527		
94.	श्री मनोहर कोटडा श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही	9352180852	222516	—
	श्री गवरेस कुमार दवे श्रम निरीक्षक, सिरोही	9974881543		—
95.	श्री चंदन कुमार खनि अभियन्ता, सिरोही	8890321996	222370	—
96.	रिक्त, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सिरोही अति चार्ज श्री रमेश चौधरी, कार्यक्रम अधिकारी	8949672809	225441	—
97.	श्री अमित कुमार शर्मा खेल अधिकारी, सिरोही	9950496143		8619338495
98.	श्री प्रवीण कुमार, RSLDC	9587682013	फतेह सिंह	टेक्क
	रिक्त डीपीएम गजजीकिज, सिरोही चार्ज अम्बिका राणावत	7014324825	7976376082	221799
99.	श्री कैलाश गहलोत निदेशक R-seti, सिरोही	8003893922	हितेश खत्री	9352854845
100.	श्री धीरज पंवार , निरीक्षक, बॉयलर्स, सिरोही	9602406090	220739	—
101	प्रभारी भूजल विभाग, सिरोही चार्ज जगदीश डांगी पाली	9166413965		
	श्री सुजान देवासी, टीए भूजल विभाग, सिरोही	9521101470	—	—
102.	श्री शुभम वामर्णय चार्ज जिला मत्स्य अधिकारी, सिरोही	8306849988		—
103.	श्री रजनीश सिंह ,सचिव, कृषि उपज मंडी,आबूरोड	9413205912	294208	—
104.	श्री पूरणसिंह जैतावत, सचिव कृषि उपज मंडी, सुमेरपुर	9414533536	258247	—
105.	श्री एम.आर.वर्मा सीओ, स्काउट, सिराही	8003097186	भाटी आबू	8003097176
106.	श्री जगपाल सिंह, चार्ज कर्नल NCC सिरोही	9720197193	222580	—
107.	श्री भलाराम RO प्रदूमाण कंट्रोल बोर्ड सिरोही कार्यालय आबूरोड	9928278699	—	—
	श्री अमित सोनी RO प्रदूमाण कंट्रोल बोर्ड पाली	8890075432		
108.	अति चार्ज नेहरू युवा केन्द्र सिरोही श्री राजेन्द्र जाखड उप निदेशक पाली	9461315912	—	—
109.	श्री मनोज त्यागी वरि.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, आबूरोड	9414069662	—	—
	श्री चेतन क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, सिरोही	7300031274	—	—
110.	श्री मनीमा अरोडा SE, RUIDP सिरोही	8003377650	—	—
	श्री विनोद सोलंकी, ExEn, RUIDP सिरोही	8529698368	—	—
	श्री अशोक कुमार AEn, RUIDP सिरोही	9929355255		
111.	श्री सुनिल उपाध्याय राज.वित्त निगम, आबूरोड	9460262063	—	—
112.	श्री शिवपालसिंह आयुक्त, नगरपालिका, आबू	8504915915		238683
	श्री नवोदित राजपुरोहित सहा.अभि.नगरपालिका आबू	7275560010		
	श्री प्रवीण जी पुरोहित सफाई निरीक्षक	9887269355	9001353893	
113.	रिक्त, आयुक्त, नगर परिषद् सिरोही चार्ज शिवपालसिंह	8504915915	222280	—
	श्री भंवराराम RO नगर परिमाद, सिरोही	9119110664		
	श्री जालम सिंह, सहा. अग्निशमन अधिकारी, सिरोही	8966015100		
	श्री महिपाल चारण सफाई निरीक्षक	8107782082	—	—
	श्री महावीर कुमार सफाई निरीक्षक	9783417608		
114.	श्री महेन्द्र पुरोहित EO नगरपालिका, पिण्डवाडा	9509449729	282280	9782330854
	श्री RI नगरपालिका, पिण्डवाडा			

	श्री अनिअद्ध सिंह सफाई निरीक्षक	8078673234		
115.	सुश्री विनीता कुमावत, EO नगरपालिका शिवगंज	7014214663	282270	281959
	श्री RI नगरपालिका शिवगंज			
	श्री नरेश कुमार डांगी सफाई निरीक्षक	9549521042		
116.	श्रीमती दीपिका वीरवाल, नगरपालिका, आबूरोड	9772683094	222270	
	श्री सुशील कुमार पुरोहित, RI	8058030218		—
	श्री इमरान खान योजना शाखा	8560922636		
117	श्री लुम्बाराम चौधरी, सांसद, जालोर सिरोही	9799525117	—	—
118.	श्री नीरज डांगी राज्य सभा सदस्य	9829040715	—	—
119.	श्री ओटाराम देवासी विधायक, सिरोही शिवगंज	9829225075	—	—
120.	श्री समाराम गरासिया विधायक, आबू पिण्डवाडा	9414153012	—	—
121.	श्री मोतीराम कोली, विधायक, रेवदर	9414291372	282833	—
122.	श्री अर्जुन राम पुरोहित जिला प्रमुख सिरोही	9983202044	09649152238	—
123	मनीषा मीणा उप जिला प्रमुख, सिरोही	7726993887	9414533415	—
124	श्री हसमुख मेघवाल, प्रधान पंचायत समिति, सिरोही	9928323279	—	—
125	श्री लीलाराम ग्रासिया, प्रधान पंचायत समिति, आबूरोड	9549678888	—	—
126.	श्रीमती ललिता कुंवर, प्रधान पंचायत समिति, शिवगंज	9414592262	—	
127.	श्रीमती राधिका देवासी, प्रधान पंचायत समिति, रेवदर	6378359372	9461444880	—
128	श्री नितिन बंसल, प्रधान पंचायत समिति, पिण्डवाडा	7023111666	—	—
129	श्री महेन्द्र मेवाडा, सभापति, नगर परिषद् सिरोही	9414153668	222270	222271
130	श्री वर्जीगराम घांची अध्यक्ष, नगरपालिका शिवगंज	9829075559	272270	272271
131	श्री जीतू राणा, अध्यक्ष, नगरपालिका आबूपर्वत	9461406623	235127	—
132	श्री मगनदान चारण अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूरोड	9772777333	222270	222271
133	श्री सुरेन्द्र मेवाडा, अध्यक्ष, न.पा. पिण्डवाडा	7742424142	282270	—
134	डॉ. रक्षा भण्डारी, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी	8875167066	—	—
135	श्री आनन्द जोशी, जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी	9414153761	—	—
136	श्रीमती तारा भण्डारी पूर्व विधायक	7016540150	—	—
137	श्री जगसी राम पूर्व विधायक	9414305315	—	—

श्री अनिल कुमार, IPS	जिला पुलिस अधीक्षक	0297 2	220718	220719	9313193092	8764524201	9530431300
	अति.पुलिस अधीक्षक	02972	221208	221205		8764524301	9530431302
श्री प्रभुदयाल धानिया, RPS	अति. पुलिस अधीक्षक (SIUCAW)	—	—	—	9414303666	—	—
उप पुलिस अधीक्षक							
श्री मुकेश चौधरी	वृताधिकारी सिरोही	02972	222240	222241	9664328610	8764524401	9530431303
श्री मनोज कुमार	वृताधिकारी रेवदर	02975	282240	282241	9829525660	8764859304	9530431304
श्री गोमाराम	वृताधिकारी आबूपर्वत	02974	238973	238974	9414414884	8764524402	8764859303
श्री भंवर लाल चौधरी	वृताधिकारी पिण्डवाडा	02971	282200	—	9414100080	—	—
श्री पुमपेन्द्र वर्मा	वृताधिकारी शिवगंज	—	—	—	9982745154	—	—
श्री दिनेश कुमार	एससी/एसटी सैल	02972	220125	—	9649534677	8764524404	8764859305
श्री कैलाशदान नि.पु.	साईबर थाना सिरोही	02972	294930	—	9929373131	—	—
वृत सिरोही							
श्री दलपतसिंह नि.पु.	थानाधिकारी कोतवाली	02972	223100	—	8003315366	8764524506	9530431312
श्री घनश्यामसिंह नि.पु.	थानाधिकारी सिरोही सदर	02972	294613	—	9602405585	—	—
श्री जितेन्द्र सिंह उ.नि.	थानाधिकारी बरलूट	02972	260100	—	9414291262	8764524509	9530431314
श्रीमती सजना बेनिवाल उ.नि.	थानाधिकारी महिला थाना सिरोही	02972	224100	—	9772380211	8764524515	9530431324
वृत आबूपर्वत							
श्री प्रदीप डांगा नि.पु.	थानाधिकारी आबूपर्वत	02974	238333	—	9414448440	8764524501	9530431307
श्री हरचंद देवासी नि. पु.	थानाधिकारी आबूरोड शहर	02974	222100	—	9829823492	8764524503	9530431308
श्री दर्शन सिंह नि.पु.	थानाधिकारी आबूरोड सदर	02974	228028	—	9414567056	8764524502	9530431309
श्री लक्ष्मणसिंह नि.पु.	थानाधिकारी आबूरोड रिक्को	02974	298071	—	9414544574	—	—

वृत रेवदर							
श्री सीताराम नि.पु.	थानाधिकारी रेवदर	02975	282100	—	9828363739	8764524511	9530431318
श्री रविन्द्रपाल सिंह उ. नि.	थानाधिकारी मंडार	02975	285451	—	9829715004	8764524512	9530431317
श्री टीकमाराम उ.नि.	थानाधिकारी कालन्द्री	02972	264334	—	9414374794	8764524514	9530431320
श्रीमति सरिता विश्नोई उनि	थानाधिकारी अनादरा	02975	244241	—	9587252929	8764524513	9530431319
वृत पिण्डवाड़ा							
श्री भवानीसिंह नि.पु.	थानाधिकारी पिण्डवाडा	02971	282100	—	9414317257	8764524510	9530431316
श्री कमल सिंह उ.नि.	थानाधिकारी सरूपगंज	02971	242022 8003779494	—	9414034600	8764524504	9530431310
सुश्री माया पण्डित उ. नि.	थानाधिकारी रोहीडा	02971	245629	—	9950337769	8764524505	9530431311
वृत शिवगंज							
श्री बाबुलाल नि.पु.	थानाधिकारी शिवगंज	02976	272100	—	9887690968	8764524508	9530431313
श्री फगलु राम उ.नि.	थानाधिकारी पालडी एम	02976	275043	—	9414566404	8764524507	9530431315
श्री प्रेमसिंह उ.नि.	थानाधिकारी कैलाशनगर	.	.	—	7726924557	—	—

(डॉ0 दिनेश राय सापेला)
अति0 जिला कलक्टर (सहायता)
सिरोही